

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

IN

**ORIGINAL APPLICATION NO. 48/2025
IN THE MATTER OF:**

PAWAN KUMAR

APPLICANT

Versus

MoEF& CC & ORS.

RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply Affidavit of Director Geology & Mining Department, Government of Uttar Pradesh in Compliance of order dated 08.12.2025 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	<u>Annexure No. RA 1: -</u> A copy of the Letter dated 05.01.2026 issued by the Deponent to the District Magistrate Sonbhadra	
3.	<u>Annexure No. RA 2: -</u> A copy of the report dated 09.02.2026 submitted by the District Magistrate, Sonbhadra	
4.	<u>Annexure No. RA 3: -</u> A copy of the Letter dated 03.02.2026	

DATED: -

FILED THROUGH

(ANKIT VERMA)

STANDING COUNSEL STATE OF U.P.

A-15, FF, NIZAMUDDIN EAST, NEW DELHI - 110013

MOB: - 9990804440

Email: - ankit.scngtup@gmail.com

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

IN

ORIGINAL APPLICATION NO. 48/2025



IN THE MATTER OF:

PAWAN KUMAR

APPLICANT



Versus

MOEF & CC & ORS.

RESPONDENT(S)

**REPLY AFFIDAVIT OF DIRECTOR, GEOLOGY & MINING
DEPARTMENT GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH IN
COMPLIANCE OF ORDER DATED 08.12.2025 PASSED BY
THIS HON'BLE TRIBUNAL**

The Respondent No. 7 herein states as under: -

MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -

I, Mala Srivastava W/o Sri Nitin Bansal, aged about 45 years, posted as Director, Geology and Mining Department, Government of Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am the above-mentioned answering Respondent No. 7 and am duly competent to file the present reply affidavit. That the Deponent is well conversant with the facts and the circumstance of the instant case and is competent to swear this affidavit.

AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
VIII D'vi Ganj, Anaiya
Bampur, Janakpur
18/02/26

2. That the Deponent has read and understood the contents of the present reply affidavit. The averments made in the Original Application, which are not specifically admitted hereunder, must be considered to have been denied by the Deponent.
3. That the contents of the present reply affidavit have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.
4. That this Hon'ble Tribunal vide its order dated 08.12.2025 was pleased to issue the following directions: -

"....6.Hence, respondent no. 7 – Directorate, Geology and Mining, Uttar Pradesh, is directed to file affidavit within three weeks disclosing as to how the permits have been issued to respondent no. 11 when no CTO exists in its favour. If the permits have wrongly been issued, then respondent no. 7 will also disclose whether any disciplinary action has been taken against the authority concerned which had wrongly issued the permits...."

5. That in compliance with the aforesaid order dated 08.12.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, the Deponent, vide its Letter No. 2107/M-NGT-Vaad/Sonbhadra/2025 dated 05.01.2026, issued directions to the District Magistrate, Sonbhadra to:

- i. submit a factual report clarifying the position in the matter;
- ii. fix responsibility upon the officers concerned, if warranted; and

AMBRISH KUMAR
 ADVOCATE & NOTARY
 Vill. Devi Ganj, Anaya
 Adampur, Janki
 18/02/26

- iii. ensure strict adherence to the Government Order dated 23.07.2024.

A copy of the Letter dated 05.01.2026 issued by the Deponent to the District Magistrate Sonbadhra is being annexed as **Annexure No. RA 1** to this affidavit.

6. That in pursuance thereof, a report dated 09.02.2026 was submitted by the District Magistrate, Sonbadhra, wherein the brief facts of the case have been delineated as follows:

- a. That a mining lease for ordinary sand was duly sanctioned and executed in favour of M/s Anjali Construction Enterprises, Proprietor – Smt. Meera Singh, W/o Shri Ajay Singh, R/o 27/17 A.G., Ajay Vihar Colony, Taktakpur, Varanasi, for a period of five years from 04.11.2024 to 03.11.2029.

- b. That the original Environmental Clearance (EC) for the said mining lease was issued on 09.01.2020. The said EC was subsequently transferred in favour of M/s Anjali Construction Enterprises on 11.07.2024, which was valid up to 08.01.2025, or till the validity of the Mining Plan or lease period, whichever was earlier. In terms of the Notification dated 18.01.2021 issued by the Government of India and the communication dated 06.01.2025 issued by the Director, Environment Directorate, Uttar Pradesh, the validity of the said Environmental Clearance stood extended up to 08.01.2026.

- c. That for the aforesaid mining lease, the Consent to Operate (CTO) was granted by the Uttar Pradesh Pollution Control Board vide letter dated 12.11.2024, which was valid up to 31.12.2024.


AMBRISH KUMAR
 ADVOCATE & NOTARY
 Vill. Devi Ganj, Anaiya
 Adampur, Japur
 18/02/26






d. That the said project proponent, M/s Anjali Construction Enterprises, submitted an application dated 22.12.2024 before the Uttar Pradesh Pollution Control Board for renewal/grant of CTO. However, the Board rejected the said application on the premise that the Environmental Clearance was deemed to have expired on 08.01.2025.

A copy of the report dated 09.02.2026 submitted by the District Magistrate, Sonbhadra is being annexed as **Annexure No. RA 2** to this affidavit.

7. That it is respectfully submitted that vide Government Order dated 23.07.2024, a new decentralized mechanism was introduced for generation of EMM-11 through the departmental portal (<https://upmines.upsdc.gov.in>) in order to ensure time-bound and smooth administration of mining lease and mining permit-related works concerning minor minerals. In pursuance of the said Government Order dated 23.07.2024, the entire process relating to generation of EMM-11 is ensured and related at the district level.

8. That it was further directed by the Deponent that no mining lease/permit shall be operated without a valid Mining Plan, Environmental Clearance (EC), and Consent to Operate (CTO), and that EMM-11 shall be generated strictly in accordance with the subsisting validity of the aforesaid statutory approvals.

9. That it is imperative to mention that strict compliance with the Government Order dated 23.07.2024 is to be ensured at the district level and further, directions have been issued from time to time, to ensure that the transport permit (EMM-11) is generated strictly in consonance with the validity period of the Mining Plan, Environmental Clearance, and Consent to Operate.



10. That subsequently, the Uttar Pradesh Pollution Control Board granted a fresh Consent to Operate (CTO) on 15.10.2025 in respect of the said mining lease, which was valid up to 08.01.2026. During the period from 15.10.2025 to 08.01.2026, the leaseholder, M/s Anjali Construction Enterprises, carried out mining and transportation of sand/morum in accordance with the said CTO.

11. That thereafter, a fresh Environmental Clearance was granted by the State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) on 29.01.2026, and a fresh Consent to Operate was issued by the Uttar Pradesh Pollution Control Board on 02.02.2026, both being valid up to 31.12.2029. As per the records available on the departmental portal, no transport permit (EMM-11) was generated for the concerned mining lease area during the period from 09.01.2026 to 01.02.2026.

12. That with regard to the allegation pertaining to mining operations allegedly undertaken without a valid CTO during the period from 01.01.2025 to 18.02.2025, reference is invited to Letter No. G0082/O.A. No. 48/2025/2026 dated 03.02.2026 issued by the Regional Officer, Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Sonbhadra, which may kindly be read as part and parcel of the present report. A copy of the Letter dated 03.02.2026 is being annexed as **Annexure No. RA 3** to this affidavit.

13. The deponent further humbly undertakes and assures this Hon'ble Tribunal that strict adherence shall be ensured to the directions issued by this Hon'ble Tribunal from time to time, and that no mining lease or related activity shall be permitted to operate in contravention of statutory

AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
vill Dholi Ganj Anajya
Jamapur, Jhansi

18/04/26

requirements or without valid Environmental Clearance, Consent to Operate, and other mandatory approvals.

14. That the deponent shall remain duty-bound to secure scrupulous compliance at all levels and to take appropriate remedial or disciplinary measures, wherever warranted, in order to uphold the majesty of law and the authority of this Hon'ble Tribunal.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at.....8:30 pm....., on 18/04/26 that the contents of the paras 1 to 14 of this affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT



AMBRISH KUMAR
ADVOCATE & NOTARY
vill. Devi Ganj, Anaiya
Banda, Jhansi
18/04/26

know and identify the deponent
who has signed/put T.I. before me

प्रेषक,
निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।
सेवा में,
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

संख्या: 2107 /एम०-एन०जी०टी०-वाद/सोनभद्र/2025

दिनांक: 05 दिसम्बर 2026

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-48/2025 पवन कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 के सम्बन्ध में।
महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 23.07.2024 द्वारा उपखनिजों के खनन पट्टा तथा खनन अनुज्ञा से संबंधित कार्य के समयबद्ध एवं सुचारु संचालन के हित में ई०एम०एम०-11 जनरेशन हेतु विभागीय पोर्टल <https://upmines.upsdc.gov.in> पर फीडिंग की व्यवस्था विक्रेन्दीकृत करते हुए नवीन व्यवस्था लागू की गयी। शासनादेश दिनांक 23.07.2024 के क्रम में ई०एम०एम०-11 जनरेशन संबंधी समस्त कार्यवाही जनपद स्तर से सुनिश्चित की जा रही है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-48/2025 पवन कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 के बिन्दु संख्या-6 में अंकित है कि ... "6. Hence, respondent no.7-Directorate Geology and Mining, Uttar Pradesh is directed to file affidavit within three weeks disclosing as to how the permits have been issued to respondent no.11 when no CTO exists in its favour. If the permits have wrongly been issued then respondent no.7 4 will also disclose if any disciplinary action has been taken against the authority concerned which had wrongly issued the permits." ...

अतः कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 के आलोक में प्रकरण के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए तथ्यात्मक आख्या एवं प्रकरण में अनियमितता पाए जाने की स्थिति में संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आख्या/ प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत करने का कष्ट करें। यह भी अपेक्षित है कि शासनादेश दिनांक 23.07.2024 का कडाई से अनुपालन करते हुए पट्टों का नियमानुसार संचालन सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि बिना वैध खनन योजना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र व CTO कोई भी पट्टा / अनुज्ञा संचालित न हो।
संलग्नक-यथोपरि। ई-मेल के माध्यम से।

भवदीया,

(माला श्रीवास्तव)

o/p निदेशक।

Amrit

संख्या: 2107 /एम०-एन०जी०टी०-वाद/सोनभद्र/2025 तद्विनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. ज्येष्ठ खान अधिकारी, सोनभद्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

(माला श्रीवास्तव)

निदेशक।

o/p
Amrit

Annexure- RA 2

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

पत्रांक 2344 / खनिज / 2026

दिनांक 09/12/2026

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-48/2025 पवन कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या-2107/एम०-एन०जी०टी०-वाद/सोनभद्र/2025 दिनांक 05.01.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-48/2025 पवन कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 के बिन्दु संख्या-6 के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए तथ्यात्मक आख्या एवं प्रकरण में अनियमितता पाये जाने की स्थिति में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

ओ०ए० संख्या-48/2025 पवन कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 के बिन्दु सं०-05 व 06 के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"5. As per the stand of the Counsel for UPPCB after 31.12.2024 no CTO exists in favour of respondent no.11-project proponent whereas the stand of the applicant is that Form EMM11 has been issued subsequently on 11.11.2025 by Directorate, Geology and Mining, Uttar Pradesh.

6. Hence, respondent no.7-Directorate Geology and Mining, Uttar Pradesh is directed to file affidavit within three weeks disclosing as to how the permits have been issued to respondent no.11 when no CTO exists in its favour. If the permits have wrongly been issued then respondent no.7 will also disclose if any disciplinary action has been taken against the authority concerned which had wrongly issued the permits."

- उक्त आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अध्याय-4 नियम-23(2)(क) में उल्लिखित प्राविधान है कि- "बालू या मोरम या बजरी या इनमें से कोई भी जो मिला जुली अवस्था में हो और जो नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाती हो, के सन्दर्भ में खनन पट्टों के लिए क्षेत्र या क्षेत्रों के पट्टे, एक बार में अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए केवल ई-निविदा या ई-नीलामी या ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जायेंगे।" तथा शासनादेश संख्या-1875/86-2017-(सा०)/2017टीसी-1 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ दिनांक: 14.08.2017 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार रिक्त खनन क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से 05 वर्ष की अवधि हेतु खनन परिहार पर व्यवस्थापन किये जाने हेतु प्राविधान किया गया है।

(संलग्नक 01- शासनादेश दिनांक 14.08.2017)

V.

(2)

2. उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार जनपद-सोनभद्र की तहसील-दुद्धी स्थित ग्राम-पीपरडीह एवं ग्राम-कोरगी के आराजी संख्या-871 व 518ग कुल रकबा-32.338 हेक्टेयर क्षेत्र पर कनहर नदी तल स्थित उपखनिज बालू/मोरम के रिक्त खनन क्षेत्र को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक: 29.11.2018 में प्रश्नगत खनन क्षेत्र में मे0 आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड प्रा0लि0, मैनेजिंग डायरेक्टर-श्री विरेन्द्र सिंह जादौन पुत्र श्री गुलजार सिंह जादौर, पता-ई-7 एम 708 अरेरा कालोनी, भोपाल द्वारा सर्वोच्च बोली रू0 769/- प्रति घनमीटर दी गयी, जिस कारण सर्वोच्च बोलीदाता (मे0 आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड प्रा0लि0, मैनेजिंग डायरेक्टर-श्री विरेन्द्र सिंह जादौन) के पक्ष में दिनांक: 25.01.2019 को सशर्त आशय-पत्र निर्गत किया गया, जिसके उपरान्त आशय-पत्र धारक (मे0 आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड प्रा0लि0, मैनेजिंग डायरेक्टर-श्री विरेन्द्र सिंह जादौन) द्वारा आशय-पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार खनन योजना को दिनांक: 14.03.2019 को सक्षम स्तर से अनुमोदित कराते हुए राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण उत्तर प्रदेश लखनऊ (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र (EC) दिनांक 09.01.2020 को प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके उपरान्त मे0 आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड प्रा0लि0, मैनेजिंग डायरेक्टर-श्री विरेन्द्र सिंह जादौन पुत्र श्री गुलजार सिंह जादौर, पता-ई-7 एम 708 अरेरा कालोनी, भोपाल के पक्ष में 05 वर्ष (दिनांक: 16.01.2020 से 15.01.2025 तक) की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित किया गया, जिसे उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-59 में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने के कारण कार्यालय पत्र दिनांक 08.01.2024 के माध्यम से निरस्त किया गया।

(संलग्नक 02- खनन योजना दिनांक 14.03.2019,

संलग्नक 03- पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 09.01.2020,

संलग्नक 04- कार्यालय पत्र दिनांक 08.01.2024)

3. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से दिनांक: 10.01.2024 को विज्ञप्ति किया गया, जिसमें मे0 अंजली कन्सट्रक्शन इण्टरप्राइजेज, प्रो0-श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री अजय सिंह, नि0- 27/17 ए0जी0 अजय विहार कॉलोनी, टकटकपुर, वाराणसी द्वारा सर्वोच्च बोली रू0 656/- प्रति घनमीटर दी गयी, जिस कारण सर्वोच्च बोलीदाता (मे0 अंजली कन्सट्रक्शन इण्टरप्राइजेज, प्रो0-श्रीमती मीरा सिंह) के पक्ष में दिनांक: 13.03.2024 को सशर्त आशय-पत्र निर्गत किया गया, जिसके उपरान्त आशय-पत्र धारक (मे0 अंजली कन्सट्रक्शन इण्टरप्राइजेज, प्रो0-श्रीमती मीरा सिंह) द्वारा आशय-पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार खनन योजना को दिनांक: 25.12.2024 को सक्षम स्तर से अनुमोदित कराते हुए राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण उत्तर प्रदेश लखनऊ (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति (EC) दिनांक 11.07.2024 को प्राप्त किया गया तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दिनांक 12.11.2024 को सी0टी0ओ0 प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके उपरान्त मे0 अंजली कन्सट्रक्शन इण्टरप्राइजेज, प्रो0-श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री अजय सिंह, नि0-27/17 ए0जी0 अजय विहार कॉलोनी, टकटकपुर, वाराणसी के पक्ष में 05 वर्ष (दिनांक: 04.11.2024 से 03.11.2029 तक) की अवधि हेतु स्वीकृत/निष्पादित किया गया।

(संलग्नक 05- विज्ञप्ति दिनांक 10.01.2024,

.....3.....

(3)

संलग्नक 06- आशय-पत्र दिनांक 13.03.2024,

संलग्नक 07- खनन योजना दिनांक 25.12.2024,

संलग्नक 08- पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 11.07.2024)

4. पट्टाधारक मे0 अंजली कन्सल्ट्रक्शन इण्टरप्राइजेज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 29.04.2024 के क्रम में कार्यालय पत्र सं0-2234/ खनिज/2024 दिनांक 04.01.2025 के माध्यम से निदेशक, पर्यावरण/सदस्य सचिव, SEAC, पर्यावरण निदेशालय, पर्यावरण भवन, गोमती नगर, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें उल्लिखित है कि :-

“अतः अधिसूचना दिनांक 18.01.2021 के क्रम में निर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति संख्या-516/parya/SEAC/5031-4705/2018 दिनांक 09.01.2020 की विधि मान्यता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना, मे0 अंजली कन्सल्ट्रक्शन इण्टरप्राइजेज, प्रोपराइटर-श्रीमती सिंह पत्नी श्री अजय सिंह, निवासी-24/17 ए0जी0 अजय विहार कालोनी, टकटकपुर, बोल-सदर, जनपद-वाराणसी के पक्ष में जनपद-सोनभद्र के तहसील-दुद्धी स्थित ग्राम-पीपरडीह एवं कोरगी के आराजी संख्या-871 व 518ग, रकबा-32.338 हे0 क्षेत्र पर स्वीकृत मोरम के खनन पट्टे पर लागू होगी अथवा नहीं, के सम्बन्ध में अभिमत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।”

(संलग्नक 09- कार्यालय पत्र दिनांक 04.01.2025)

5. उक्त पत्र दिनांक 04.01.2025 के क्रम में निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-890 दिनांक 06.01.2025 के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 18.01.2021 के क्रम में पर्यावरणीय अनापत्ति संख्या-516/parya/SEAC/5031-4705/2018 दिनांक 09.01.2020 की वैधता दिनांक 08.01.2026 तक होगी तथा SEIAA द्वारा निर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक 27.09.2025 के अनुसार प्रश्नगत पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र की वैधता दिनांक 08.01.2026 तक है।

(संलग्नक 10- पत्र दिनांक 06.01.2025)

6. उक्त के अतिरिक्त यहां यह भी अवगत कराना है कि प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-48/2025 पवन कुमार बनाम भारत सरकार व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 30.01.2025 को निम्न आदेश पारित किया गया:-

“5. Having regard to the seriousness of the allegation made in the OA, we also constitute a Joint Committee comprising RO, MoEF&CC, Lucknow, representative of the Member Secretary, CPCB, Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Sonbhadra. The District Magistrate, Sonbhadra, will act as the nodal agency in the Joint Committee. The Joint Committee will visit the site, ascertain the extent of illegal mining that has been done and also ascertain the correctness of the allegation concerning the midstream mining, which is reflected in the photographs enclosed with the OA and the status of requisite environmental clearances with the Respondent No. 11 and will also ascertain as to how after expiry of EC the Form EMM11 were issued after 08.01.2025. The Joint Committee will submit the report before the Tribunal within eight weeks.”

.....4.....

V.

(4)

7. मा0 न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में मा0 न्यायालय द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 15.04.2025 को कर संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 25.04.2025 को मा0 न्यायालय के वेबसाइट <https://www.greentribunal.gov.in> पर दिनांक 28.04.2025 को अपलोड किया गया, जो मा0 न्यायालय के वेबसाइट पर वर्तमान में प्रदर्शित है, के पृष्ठ सं0-04 के बिन्दु सं0-3.15 में उल्लिखित है कि "3.15. During visit, the Joint Committee observed that no mining activity is going on lease area. However, as per the available record, the mining has been stopped since 18 Feb 2025. The lease was operated from 1 Jan, 2025 to 18 Feb, 2025, without valid CTO."

(संलग्नक 11- गठित संयुक्त समिति की आख्या दिनांक 25.04.2025)

8. मा0 न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 25.04.2025 में उल्लिखित उपरोक्त तथ्य मे0 अंजली कन्सट्रक्शन इण्टरप्राइजेज द्वारा दिनांक 01.01.2025 से 18.02.2025 तक बिना सी0टी0ओ0 खनन किये जाने की दशा में मे0 अंजली कन्सट्रक्शन इण्टरप्राइजेज के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालय पत्र सं0-2055/खनिज/2026 दिनांक 27.01.2026 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया गया। साथ ही उक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-2053/खनिज/2026 दिनांक 27.01.2026 द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र द्वारा अपने पत्र संख्या-G0082/O.A. No. 48/2025/2026 दिनांक 03.02.2026 द्वारा अवगत कराया गया कि-"संदर्भित उद्योग को स्टेट इन्वायरन्मेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी उ0प्र0 के पत्र दिनांक 27.09.2025 (ट्रांसफर ई0सी0) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्रांक-एच 34003/सी-2/वायु-593/25 दिनांक 29.10.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि "मा0 उच्चतम न्यायालय सिविल अपील संख्या-797-760/ 2023 डीपीसीसी बनाम लोधी प्रापर्टी कम्पनी लिमिटेड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 04.08.2025 के अनुक्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया/प्राकृतिक न्याय के सम्बन्ध में अधीनस्थ विधायन आने के उपरान्त ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा सकती है। तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का बिन्दु वर्तमान में स्थगित किया जाना उचित होगा।"

तत्पश्चात बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-251515/UPPCB/Sonbhadra (UPPCBRO)/CTO/ both/ SONBHADRA/2025 दिनांक 15.10.2025 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) निर्गत किया गया, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 08.01.2026 तक थी। वर्तमान में स्टेट इन्वायरन्मेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी उ0प्र0 के पत्र दिनांक 29.01.2026 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया है तथा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-260696/UPPCB/ Sonebhadra/2026 दिनांक 02.02.2026 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) निर्गत किया गया, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.12.2029 है।"

(संलग्नक 12- पत्र दिनांक 27.01.2026,

संलग्नक 13- उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र के पत्र दिनांक 03.02.2026)

(5)

9. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में दिनांक 15.10.2025 को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सी०टी०ओ० निर्गत किया गया, जिसकी वैधता दिनांक 08.01.2026 तक थी, जिसके उपरान्त पट्टाधारक मे० अंजली कन्सल्ट्रक्शन इण्टरप्राइजेज द्वारा दिनांक 15.10.2025 से 08.01.2026 तक उपखनिज बालू/मोरम का खनन कर परिवहन किया गया। उक्त से स्पष्ट है कि प्रश्नगत खनन पट्टे हेतु दिनांक 11.11.2025 को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत सी०टी०ओ० वैध था।
(संलग्नक 14- सी०टी०ओ० दिनांक 15.10.2025)
10. प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र के सम्बन्ध में निर्गत पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र व सी०टी०ओ० की वैधता दिनांक 08.01.2026 तक होने के कारण मे० अंजली कन्सल्ट्रक्शन इण्टरप्राइजेज के ई०एम०एम०-11 पोर्टल को वैध पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र व सी०टी०ओ० प्राप्त करने के दिनांक तक बन्द किया गया तथा प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में SEIAA द्वारा दिनांक 29.01.2026 को पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया, जिसके उपरान्त पट्टाधारक द्वारा दिनांक 02.02.2026 को सी०टी०ओ० प्राप्त किया गया, जिसकी वैधता दिनांक 02.02.2026 से दिनांक 31.12.2029 तक है।
11. विभागीय पोर्टल upmines.upsdc.gov.in के अनुसार प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में दिनांक 09.01.2026 से दिनांक 01.02.2026 तक कोई वैध परिवहन प्रपत्र जनित नहीं हुआ।
(संलग्नक 15- पोर्टल का स्क्रीनशॉट)

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


(बद्री नाथ सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनमद्र।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।




जिलाधिकारी,
सोनमद्र।

खनिज - 1

संख्या-1875/86-2017-57(सा)2017
T.C.I

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

✓ समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग

लखनऊ, दिनांक-14 अगस्त 2017

विषय: प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-1498 वर्ष 2015 गुलाब चन्द्र मिश्र बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 01.05.2017 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के नियम 9क को विलोपित करते हुए नियमावली के 43वें संशोधन द्वारा अध्याय-4 में संशोधन कर ई-निविदा/ई-नीलामी/ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से क्षेत्रों के परिहार पर दिए जाने का प्राविधान किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध बालू, मोरम, बजरी आदि के रिक्त क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज(परिहार) नियमावली-1963 यथा संशोधित के अध्याय-4 के अर्न्तगत ई-निविदा सह ई-नीलामी (E-Tender cum E-Auction) प्रणाली के माध्यम से परिहार पर दिये जाने के सम्बन्ध में तत्काल प्रभाव से निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेंगी :-

1. नदी तल स्थित उपखनिजों के रिक्त क्षेत्रों को खनिज की उपलब्धता, परिवहन मार्ग की स्थिति, क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूलता तथा सुरक्षित खनन के दृष्टिगत अधिकतम 03 मी० की गहराई अथवा जल स्तर, जो भी पहले हो, तक खनिज की मात्रा का आकलन करते हुए व्यवसायिक रूप से उपयुक्त खण्डों का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित खण्डों का क्षेत्रफल 05 हे० से कम नहीं होगा। वैज्ञानिक ढंग से खनन हेतु उपयुक्त न होने की स्थिति में छोटे रिक्त खण्डों का निर्धारण किया जा सकता है परन्तु ऐसे निर्धारण के पूर्व युक्तियुक्त कारण अभिलिखित किया जायेगा। निर्धारित खण्डों के लिए वन विभाग की अनापत्ति अनिवार्य है।

2. ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा नदी तल स्थित उपखनिजों के खनन पट्टा निश्चित अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
3. ई निविदा सह ई नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/ बोली दिये जाने पर बिड/ बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्रीबिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/ बोली की दर (रूपया प्रति घन मी0) को क्षेत्र में आंकलित मात्रा (घन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
4. ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुए द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुए बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।
5. किसी क्षेत्र के ई निविदा सह ई नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
6. निर्धारित खण्डों में उपखनिज की खनन योग्य मात्रा एवं उस क्षेत्र के अर्नेस्ट मनी का निर्धारण उपरोक्त प्रस्तारों के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति जिसमें अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी/तहसीलदार तथा जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक होंगे, द्वारा कराया जायेगा।
7. एम0एस0 टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन एम0एस0टी0सी0 के ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।

8. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing type डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम एस टी सी के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे।
9. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाईन एक या एक से अधिक क्षेत्रों के लिए बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी जमा करना होगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सरकार के पक्ष में ₹0-15,000(₹0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।
10. ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिए स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजा गया सूचना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात् बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी.एस.टी. सहित ₹0-1,180 (₹0 एक हजार एक सौ अस्सी मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात् ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा।
11. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-
- (1) आवेदक का आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामले में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।
 - (2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहाँ आवेदक स्थायी रूप से निवास करता हों।

- (3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
- (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई निविदा सह ई नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति,
- (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहाँ आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहाँ इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।

12. एम0एस0टी0सी0 द्वारा केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के प्रावधानों के अर्न्तगत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं:-

- (1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है
- (2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
- (3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
- (4) जिसने अपना आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
- (5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
- (6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

13. रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन - खण्डों का निर्धारण एवं उसका मूल्यांकन होने के उपरान्त नियमावली-1963 के नियम-23 के प्रावधानों के अर्न्तगत तथा निम्न प्रक्रिया के अनुसार रिक्त क्षेत्रों का विज्ञापन एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com, दैनिक समाचार पत्रों एवं विज्ञापन पट(नोटिस बोर्ड) पर प्रकाशित किया जायेगा।

- (1) जिलाधिकारी द्वारा नियम 23(1) की घोषणा होने के उपरान्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा पट्टे पर देने के लिए ई-निविदा के दिनांक से कम से कम 30 दिन पूर्व सार्वजनिक नोटिस (सूचना)/विज्ञापित प्रकाशित किया जायेगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्रों का सम्पूर्ण विवरण एम0एस0टी0सी0 को भी ईमेल से उपलब्ध कराया जायेगा ताकि क्षेत्रों की विज्ञापित एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर किया जा सके। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये क्षेत्रों का विवरण एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर डालने के

बाद इसकी पुष्टि जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के दो सदस्यों द्वारा डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से किया जायेगा। डिजिटल सिग्नेचर से पुष्टि के उपरान्त ही क्षेत्रों का विवरण ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल पर बिडर्स एवं सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध होगा।

- (2) विज्ञप्ति में क्षेत्रों का विवरण यथा ग्राम, गाटा सं0/खण्ड सं0, नदी का नाम क्षेत्रफल, क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा, उपखनिज की रायल्टी दर, क्षेत्र के लिए निर्धारित प्री बिड अर्नेस्ट मनी, ई-निविदा डालने की तिथि व अवधि, ई-निविदा के उपरान्त ई-नीलामी का समय व दिनांक, ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया, शर्तों का विवरण आदि का उल्लेख किया जायेगा।
- (3) ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर देखा जा सकता है।
- (4) रिक्त क्षेत्रों की विज्ञप्ति एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी इसके साथ ही स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाये, जिससे कि किसी भी दशा में उक्त पोर्टल एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति में कोई भी भिन्नता न हो। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना (नोटिस) निम्नानुसार प्रकाशित की जायेगी :-
 - क. नोटिस की प्रतियां जिलाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर चिपकायी जायेंगी।
 - ख. नोटिस की एक प्रति एम0एस0टी0सी0 द्वारा निर्धारित पोर्टल, विभागीय वेबसाईट, राज्य सरकार के ई-टेंडर/ई-ऑक्शन पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।
 - ग. सर्वसाधारण की सूचना के लिए नोटिस जिले में प्रचलित कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।
- (5) समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से ही विज्ञप्ति की तिथि की गणना की जायेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि समाचार पत्रों में प्रकाशन के दिनांक से कम से कम 30 दिन पश्चात् ही ई-निविदा प्राप्त करने की तिथि निर्धारित की जायेगी। 30 दिन के पश्चात् आगामी 04 दिन तक ई-निविदा प्राप्त की जायेगी।
- (6) ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक-पृथक रू0-15000(रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का

शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।

- (7) सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानों की धनराशि(अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी जिस बैंक खाते से पैसा दिया गया था।
- (8) जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात् पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।
- (9) अधिकतम पाँच खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के क्षेत्र को, उ०प्र० राज्य में किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टे निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा केवल प्रारम्भ के पाँच क्षेत्र अथवा 400 हे० के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि आवेदक स्वयं अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 हे० से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट की सूचना देता है, तो उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्रों की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

14. जिलाधिकारी द्वारा ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया को सम्पादित करते हेतु निम्नानुसार निविदा समिति का गठन किया जायेगा :-

- (1) जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी खनन, (अध्यक्ष)
- (2) जिलाधिकारी द्वारा नामित जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी, (सदस्य)
- (3) जिले में तैनात ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक, (सदस्य सचिव)

जिलाधिकारी तथा समिति के सभी सदस्यों का डिजिटल सिग्नेचर(Class III Signing cum Encryption) का होना आवश्यक है, यदि किसी सदस्य का उक्त डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो उसे तत्काल बनवा लिया जाय।

2

15. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

- (1) ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अर्न्तगत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिए प्रतिघन मीटर के लिए दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिए नियमावली-1963 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगा। द्वितीय चरण में ई निविदा में प्राप्त अधिकतम निविदा धनराशि को आधार मानकर ई नीलामी की बोली की न्यूनतम धनराशि निर्धारित होगी। प्रथम चरण के इच्छुक आवेदक उक्त न्यूनतम धनराशि के ऊपर विज्ञप्ति में प्रकाशित तिथि व समय के अनुसार आनलाईन बोली में भाग लेंगे।
- (2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-
- (क) यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
- (ख) यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड(आफर) में प्रतिघन मीटर में दिया गया दर नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिए निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुए स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।
- (ग) यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पाँच या पाँच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।
- (घ) यदि पाँच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पाँच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

- (3) उपरोक्त प्रस्तर-15(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।
- (4) द्वितीय चरण में ई नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई नीलामी के लिए न्यूनतम बोली (Floor price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।
- (5) द्वितीय चरण की नीलामी की प्रक्रिया में नीलामी की निर्धारित अवधि के भीतर इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की ऑनलाइन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑनलाईन ही दिया जा सकता है।
- (6) निर्धारित समय के पश्चात् बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिए बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।
- (7) ई निविदा सह ई नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	प्रथम दिन
प्रथम चरण ई निविदा (ई टेण्डर) की अवधि	31वें दिन (पूर्वाह्न 10:00 बजे) से 34वें दिन (सायं 05:00 बजे) तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा(बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	35वें दिन से 36वें दिन तक
द्वितीय चरण ई नीलामी की अवधि	37वें अथवा उसके बाद के दिन जैसा जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा। (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक) अथवा(अपराह्न 02:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक)

- (8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :

क. प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer)के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात् अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी।

सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते है।

ख. एकल निविदा के मामलो को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

16. पट्टे का दिया जाना : नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई नीलामी के मामलें में उस बोली या प्रस्ताव को प्रस्तर-15(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

17. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी जहाँ क्षेत्र स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख की सत्यापन की स्थिति में अभिलेख सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

18. लेटर आफ इन्टेंट में निम्न विवरण होंगे :-

- (1) प्रथम वर्ष के लिए देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिए विज्ञप्ति में आकलित मात्रा घन मी0 को निविदा/नीलामी की दर रूपयां घन प्रति मी0 से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
- (2) सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिए प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किश्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिए बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत

दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की धनराशि(अर्नेस्ट मनी) प्रथम किश्त में समायोजित कर ली जायेगी।

- (3) पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची (छाया प्रति संलग्न) के अनुसार जमा की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन कराया जायेगा तथा नियम-35 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।
- (5) चयनित आवेदक नियम-34 के प्रावधानों के अर्न्तगत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक-14.09.2006 सपठित अधिसूचना दिनांक 15.01.2016 तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
- (6) प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-34 के अनुसार क्षेत्र के भूमि उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
- (7) लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

19. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :

- (1) स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिए मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली-1963 के चतुर्थ अनुसूची के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी।
- (2) लेटर आफ इन्टेंट प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 25 प्रतिशत प्रथम किश्त अर्थात पट्टे के प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि का 50 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि एम0एस0टी0सी0 के ई पेमेन्ट गेट वे पर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0

द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि जमा करने से पूर्व सफल निविदादाता / बोलीदाता द्वारा जमा प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित कर ली जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।

- (3) प्रथम वर्ष के लिए शेष 75 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित चतुर्थ अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
- (4) पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन(डी0एम0एफ0), आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

20. शर्तें :- विज्ञप्ति में निम्न शर्तें दी जायेंगी :-

- (1) ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (2) पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होगा।
- (3) पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक से छः माह के भीतर खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।

- (4) पट्टा धारक नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
- (5) पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-1963 के नियम-59 के अर्न्तगत शास्ति का भागीदार होगा।
- (6) पट्टेदार 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियार्ये नहीं करेगा।
- (7) जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।
- (8) नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
- (9) स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
- (10) यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति युक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
- (11) मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।
- (12) नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

(13) राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।

(14) स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुए अन्य शर्तें जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये।

अतः उपरोक्तानुसार ई निविदा सह ई नीलामी के माध्यम से क्षेत्रों का व्यवस्थित करने की कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र सम्पादित कर ली जाये।

संलग्नक—(1) नियमावली, 1963 की चतुर्थ अनुसूची।

(2) विज्ञापित का प्रारूप।

भवदीय,
(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या— (1)/86-2017-तददिनोंक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग उ०प्र० शासन।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
4. महाप्रबंधक (बी०ओ०) एम०एस०टी०सी० लि० लीलावती बिल्डिंग द्वितीय तल, 69 अरमेनियम स्ट्रीट, चेन्नई।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(आत्मा राम)
संयुक्त सचिव

(चतुर्थ अनुसूची)

जमा की गयी ई-निविदा/ई-नीलाम की धनराशि जमा की अनुसूची
{नियम-27(3)}

1	2	3				4			
		2nd	3rd	4th	1st	2nd	3rd	4th	
जनवरी से मार्च	25%	25% 1 अप्रैल	25% 1जुलाई	25% 1अक्टूबर	25% 1 जनवरी	25% 1अप्रैल	25% 1जुलाई	25% 1अक्टूबर	
अप्रैल से जून	25%	25% 1जुलाई	25% 1अक्टूबर	25% 1जनवरी	25% 1अप्रैल	25% 1जुलाई	25% 1अक्टूबर	25% 1जनवरी	
जुलाई से सितम्बर	25%	25% 1अक्टूबर	25% 1 जनवरी	25% 1 अप्रैल	25% 1जुलाई	25% 1अक्टूबर	25% 1 जनवरी	25% 1 अप्रैल	
अक्टूबर से दिसम्बर	25%	25% 1 जनवरी	25% 1अप्रैल	25% 1जुलाई	25% 1अक्टूबर	25% 1जनवरी	25% 1अप्रैल	25% 1जुलाई	

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में

जिलाधिकारी
सोनमर।

संख्या- 2864/मा० प्लान/2017

दिनांक 14/03/2019

विषय- पट्टाधारक आर० एस० आई० स्टोन वर्ल्ड प्रा०लि० के पक्ष में स्वीकृत जनपद- सोनमर में तहसील- दुहरी, ग्राम-पीपरडीह एवं कोरगी, क्षेत्रफल-32.338 हे० में उपखनिज साधारण बालू/मौरम के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन योजना का अनुमोदन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि उक्त संदर्भित क्षेत्र के संबंध में पट्टाधारक आर० एस० आई० स्टोन वर्ल्ड प्रा०लि० द्वारा प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन उत्तर प्रदेश उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम-34 के उपनियम (4) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दिनांक 14.03.2019 को कर दिया गया है।

1- "खनन योजना" का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया गया है:-

- (अ) "खनन योजना" का अनुमोदन खनन पट्टा विलेख निष्पादन के दिनांक से आगामी 05 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। खनन क्षेत्र से 258704.00 घन मी० प्रति वर्ष खनिज का उत्पादन अनुमन्य किया गया है।
- (ब) अनुमोदित अवधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते हैं, तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व पट्टेदार का होगा।
- (स) आवद्ध नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का दायित्व पट्टेदार का होगा।
- (द) अनुमोदित खनन योजना की एक-एक प्रमाणित प्रति संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व भी पट्टेदार का होगा।
- (ध) अनुमोदित खनन योजना में विनिहित प्रक्रिया के अनुसार पट्टेदार द्वारा खनन कार्य न किये जाने के पाये जाने पर पट्टेदार के विरुद्ध पट्टे की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (ढ) खनन योजना को निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अनुमोदित किया जाता है:-
 1. बेंच की ऊंचाई अधिकतम 01 मी० एवं बेंच की चौड़ाई न्यूनतम 10 मी० होनी चाहिए।
 2. खनन कार्य अधिकतम 03 मी० की गहराई तक या पानी निकलने के तल, जो भी कम हो तक किया जायेगा।
 3. खनन कार्य जीरो (0) लेवल से ऊपर की ओर किया जायेगा।
 4. खनन पट्टा स्थल पर फास्ट एड बॉक्स व स्ट्रेचर रखे जायें।
 5. श्रमिकों के लिये श्रमिक विश्राम गृह उनके पीने व पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जाये।



6. खनन क्षेत्र से मुख्य मार्ग तक जाने वाले पहुँच मार्ग (कच्चे मार्ग) पर नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जायेगा, ताकि वाहनों के आवागमन से उत्पन्न धूल को उड़ने से रोका जा सके।
7. नदी के तटबन्ध से नदी की ओर न्यूनतम 50 मी० तक खनन कार्य किया जाना वर्जित होगा। जहाँ तक व्यवहारिक हो नदी से तटबन्ध की ओर खनन किया जायेगा।
8. खनन कार्य से निकाले गये मलवे खास कर टॉप स्वायल को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर रखा जायेगा।
9. पर्यावरण स्वच्छता के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।

2- अस्तु आपसे अनुरोध है कि अनुमोदित खनन योजना की संलग्न मूल प्रति सम्बन्धित पट्टेदार को अनुपालन हेतु उपलब्ध करा कर उनसे प्राप्ति रसीद प्राप्त कर निदेशालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,


(अनिल कुमार शर्मा)
मुख्य खान अधिकारी
कृते निदेशक।

संख्या: (1)/मा० प्लान/2017 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र०, जनपद- सोनमद्र।
- 2-पट्टाधारक आर० एस० आई० स्टोन वर्ल्ड प्रा०लि०, निवासी- पता-ई 7 एम 708, अरे कालोनी, भोपाल, श्री विरेन्द्र सिंह जाडोन।
- 3-खनन अनुभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।

(अनिल कुमार शर्मा)
मुख्य खान अधिकारी
कृते निदेशक

F181010-3

State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttar Pradesh

Directorate of Environment, U.P.

Vineet Khand-1, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010

Phone : 91-522-2300 541, Fax : 91-522-2300 543

E-mail : doeuplko@yahoo.com

Website : www.seiaaup.in

To,

Shri Virendra Singh Jadon,
M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd,
E-7 M-708, Arera Colony,
Bhopal- 462016.

Ref. No. S/16/Parya/SEAC/5031-4705/2018

Date: 9 January, 2020

Sub: Environmental Clearance for Proposed Sand/Morrum Mine of Gata No.-871 and 581Ga Near Village Pipardih and Koragi, Tehsil-Dudhi, District-Sonbhadra, U.P., (Leased Area: 32.338 Ha), M/S R.S.I. Stone World Pvt. Ltd.

Dear Sir,


Please refer to your application/letters 11-03-2019, 29-03-2019, 05-04-2019, 25-09-2019 26-09-2019 & 21-11-2019 addressed to the Chairman/Secretary, State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) and Director, Directorate of Environment Govt. of UP on the subject as above. The State Level Expert Appraisal Committee considered the matter in its meetings held on dated 09-10-2019 and SEIAA in its meeting dated 13/11/2019, 10/12/2019 & 02/01/2020.

The proposed project is under Red/Orange category of industrial Sectors and exists in the Critically Polluted industrial Areas (CPAs) as notified by MoEF&CC, Govt of India. The present project is categorized under B1 category according to the provisions of EIA notification 14 September, 2006 (As amended thereof).

A presentation was made by the project proponent along with their consultant M/s Greencindia Consulting Private Limited. The proponent, through the documents submitted and the presentation made, informed the committee that:-

1. The environmental clearance is sought for Sand/Morrum Mine of Gata No.-871 and 581Ga Near Village Pipardih and Koragi, Tehsil-Dudhi, District-Sonbhadra, U.P., (Leased Area: 32.338 Ha), M/S R.S.I. Stone World Pvt. Ltd.
2. The terms of reference in the matter were issued by SEIAA, U.P. vide letter dated 27/05/2019.
3. Public hearing was organized on 09/08/2019. EIA report submitted by the project proponent on 03/11/2019.
4. Salient features of the project as submitted by the project proponent:

1. On-line proposal No.	SIA/UP/MIN/42156/2019		
2. File No. allotted by SEIAA, UP	5031/4705		
3. Name of Proponent	Virendra Singh Jadon (Authorized Signatory)		
4. Full correspondence address of proponent and mobile no.	M/s R.S.I Stone World Pvt. Ltd. E-7 M 708, Arera colony, Bhopal- 462016		
5. Name of Project	Pipardih & Koragi (Area 32.338 ha sand/morrum mine) on Kanhar river		
6. Project location (Plot/Khasra/Gata No.)	Village - Pipardih & Koragi, Tehsil - Dudhi, District - Sonbhadra, State- Uttar Pradesh.		
7. Name of River	Kanhar River		
8. Name of Village	Pipardih & Koragi		
9. Tehsil	Dudhi		
10. District	Sonbhadra		
11. Name of Minor Mineral	Sand/Morrum		
12. Sanctioned Lease Area (in Ha.)	32.338 Hectares		
13. Mineable Area (in Ha.)	19.021 Ha.		
14. Zero level mRL	192 m		
15. Max. & Min mrl within lease area	198 mRL-196 mRL.		
16. Pillar Coordinates (Verified by DMO)	Point	Latitude	Longitude
	A	24°14'10.98"N	83°16'13.53"E
	B	24°14'20.47"N	83°16'15.43"E
	C	24°14'35.62"N	83°16'16.52"E
	D	24°14'40.99"N	83°16'16.11"E
	E	24°14'46.66"N	83°16'12.08"E
	F	24°14'54.27"N	83°16'13.82"E



Ec for Proposed Sand/Morrum Mine of Gata No.-871 and 581Ga Near Village Pipardih and Koragi, Tehsil-Dudhi, District-Sonbhadra, U.P., (Leased Area: 32.338 Ha), M/S R.S.I. Stone World Pvt. Ltd.

	G	24°14'47.71"N	83°16'22.45"E
	H	24°14'21.93"N	83°16'25.74"E
	I	24°14'9.51"N	83°16'22.03"E
	Block no -1		
	H	24°14'21.93"N	83°16'25.74"E
	I	24°14'9.51"N	83°16'22.03"E
	J	24°14'10.68"N	83°16'15.96"E
	K	24°14'16.39"N	83°16'16.42"E
	L	24°14'24.40"N	83°16'20.43"E
	M	24°14'35.72"N	83°16'17.86"E
	N	24°14'43.19"N	83°16'20.30"E
	O	24°14'42.33"N	83°16'23.67"E
	Block no -2		
	N'	24°14'44.76"N	83°16'19.59"E
	O'	24°14'44.33"N	83°16'23.38"E
	G	24°14'47.70"N	83°16'22.44"E
	F	24°14'54.24"N	83°16'13.80"E
	&		
	E'	24°14'49.97"N	83°16'12.80"E
	E	24°14'46.68"N	83°16'12.06"E
	D	24°14'40.98"N	83°16'16.08"E
	Water Submerged Area		
	A	24°14'10.98"N	83°16'13.53"E
	B	24°14'20.47"N	83°16'15.43"E
	C	24°14'35.62"N	83°16'16.52"E
	D	24°14'40.99"N	83°16'16.11"E
	E	24°14'46.66"N	83°16'12.08"E
	F	24°14'54.27"N	83°16'13.82"E
	G	24°14'47.71"N	83°16'22.45"E
	O	24°14'42.33"N	83°16'23.67"E
	O'	24°14'44.33"N	83°16'23.38"E
	N	24°14'43.19"N	83°16'20.30"E
	M	24°14'35.72"N	83°16'17.86"E
	L	24°14'24.40"N	83°16'20.43"E
	K	24°14'16.39"N	83°16'16.42"E
	J	24°14'10.68"N	83°16'15.96"E
17. Total Geological Reserves	5,70,630 m ³		
18. Total Mineable Reserves in LOI	2,58,704 m ³ per year (As per LOI)		
19. Total Proposed Production	2,58,704 m ³		
20. Proposed Production/year	2,58,704 m ³ /Year		
21. Sanctioned Period of Mine lease	5 Years		
22. Production of mine/day	1035 m ³ /Day		
23. Method of Mining	Opencast Semi-mechanized mining		
24. No. of working days	250 days/Year		
25. Working hours/day	12 Hours		
26. No. Of workers	80		
27. No. Of vehicles movement/day	115		
28. Type of Land	Govt. Land		
29. Ultimate Depth of Mining	1.75m		
30. Nearest metalled road from site	250 m		
31. Water Requirement	PURPOSE	REQUIREMENT (KLD)	
	Drinking	0.80	
	Suppression of dust	1.20	
	Plantation	13.93	
	Others (if any)		
Total	15.93		

**Ec for Proposed Sand/Morrum Mine of Gata No.-871 and 581Ga Near Village Pipardih and Koragi, Tehsil-Dudhi,
District-Sonbhadra, U.P., (Leased Area: 32.338 Ha), M/S R.S.I. Stone World Pvt. Ltd.**

32. Name of QCI Accredited Consultant with QCI No 33. and period of validity.	GreenclIndia Consulting Pvt Ltd. NABET/EIA/1619/RA0058 valid till 27/10/2019
34. Any litigation pending against the project or land in any court	No
35. Details of 500 m Cluster Map & certificate verified by Mining Officer	2860/khanij/2019 Dated - 05 th February, 2019
36. Details of Lease Area in approved DSR	32.338 Hectares S.No. 16 and as per Suddhi Patra dated 15.03.2019, Letter No.- 3080/Khanij/2019
37. Length and breadth of Haul Road	Length 250 m, Width 6.0 m

5. The mining would be restricted to unsaturated zone only above the phreatic water table and will not intersect the ground water table at any point of time.
6. This project does not attract any of the general conditions applicable on mining projects specified in EIA Notification 14/09/2006.
7. The mining operation will not be carried out in safety zone of any bridge or embankment or in eco-fragile zone such as habitat of any wild fauna.
8. There is no litigation pending in any court regarding this project.
9. The project proposal falls under category-1(a) of EIA Notification, 2006 (as amended).

Based on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee Meeting (SEAC) held on 09-10-2019 the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) in its Meeting held 10/12/2019 & 02/01/2020. The SEIAA kept this project on hold and sought clarification from the MoEF&CC, Govt. regarding grant of Environment Clearance of the proposed project in the light of MoEF&CC OM dated 31-10-2019. A clarification has been issued by the MoEF&CC, OM dated 30/12/2019 wherein, the ministry has directed that the cases which are already recommended by SEAC/UTEAC as the case may be, SEIAA may prescribe the additional condition as per the OM dated 31/10/2019. Accordingly SEIAA decided to grant the Environmental Clearance to the title project for collection of 2,58,704 m³ is proposed from mining lease area 32.338 ha subject to effective implementation of the following General Conditions and specific conditions:

General Conditions:

1. This environmental clearance is subject to allotment of mining lease in favour of project proponent by District Administration/Mining Department.
2. Forest clearance shall be taken by the proponent as necessary under law.
3. Any change in mining area, khasra numbers, entailing capacity addition with change in process and or mining technology, modernization and scope of working shall again require prior Environmental Clearance as per the provisions of EIA Notification, 2006 (as amended).
4. Precise mining area will be jointly demarcated at site by project proponent and officials of Mining/Revenue department prior to starting of mining operations. Such site plan, duly verified by competent authority along with copy of the Environmental Clearance letter will be displayed on a hoarding/board at the site. A copy of site plan will also be submitted to SEIAA within a period of 02 months.
5. Mining and loading shall be done only within day hours time.
6. No mining shall be carried out in the safety zone of any bridge and/or embankment.
7. It shall be ensured that standards related to ambient air quality/effluent as prescribed by the Ministry of Environment & Forests are strictly complied with. Water sprinklers and other dust control majors should be applied to take care of dust generated during mining operation. Sprinkling of water on haul roads to control dust will be ensured by the project proponent.
8. All necessary statutory clearances shall be obtained before start of mining operations. If this condition is violated, the clearance shall be automatically deemed to have been cancelled.
9. Parking of vehicles should not be made on public places.
10. No tree-felling will be done in the leased area, except only with the permission of Forest Department.
11. No wildlife habitat will be infringed.
12. It shall be ensured that excavation of minor mineral does not disturb or change the underlying soil characteristics of the river bed /basin, where mining is carried out.
13. It shall be ensured that mining operation of Sand/Morram will not in any way disturb the, velocity and flow pattern of the river water significantly.
14. It shall be ensured that there is no fauna dependant on the river bed or areas close to mining for its nesting. A report on the same, vetted by the competent authority shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within 02 months.
15. Primary survey of flora and fauna shall be carried out and data shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months.



Ec for Proposed Sand/Morrum Mine of Gata No.-871 and 581Ga Near Village Pipardih and Koragi, Tehsil-Dudhi, District-Sonbhadra, U.P., (Leased Area: 32.338 Ha), M/S R.S.I. Stone World Pvt. Ltd.

16. Hydro-geological study shall be carried out by a reputed organization/institute within six months and establish that mining in the said area will not adversely affect the ground water regime. The report shall be submitted to the RO, PCB and SEIAA within six months. In case adverse impact is observed /anticipated, mining shall not be carried out.
17. Adequate protection against dust and other environmental pollution due to mining shall be made so that the habitations (if any) close by the lease area are not adversely affected. The status of implementation of measures taken shall be reported to the RO, UPPCB and SEIAA and this activity should be completed before the start of sand mining.
18. Need-based assessment for the nearby villages shall be conducted to study economic measures which can help in improving the quality of life of economically weaker section of society. Income generating projects/tools such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. can form a part of such programme. The project proponent shall provide separate budget for community development activities and income generating programmes.
19. Green cover development shall be carried out following CPCB guidelines including selection of plant species and in consultation with the local DFO/Horticulture Officer.
20. Separate stock piles shall be maintained for excavated top soil, if any, and the top soil should be utilized for green cover/tree plantation.
21. Dispensary facilities for first-aid shall be provided at site.
22. An Environmental Audit should be annually carried out during the operational phase and submitted to the SEIAA.
23. The District Mining Officer should quarterly monitor compliance of the stipulated conditions. The project proponent will extend full cooperation to the District Mining Officer by furnishing the requisite data/information/monitoring reports. In case of any violations of stipulated conditions the District Mining Officer will report to SEIAA.
24. The project proponent shall submit six monthly reports on the status of compliance of the stipulated environmental clearance conditions including results of monitored data (both in hard & soft copies) to the SEIAA, the District Officer and the respective Regional Office of the State Pollution Control Board by 1st June and 1st December every year.
25. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parisad/ Municipal Corporation and Urban Local Body.
26. Transportation of materials shall be done by covering the trucks / tractors with tarpaulin or other suitable mechanism to avoid fugitive emissions and spillage of mineral/dust.
27. Waste water, from temporary habitation campus be properly collected & treated before discharging into water bodies the treated effluent should conform to the standards prescribed by MoEF/CPCB.
28. Measures shall be taken for control of noise level to the limits prescribed by C.P.C.B.
29. Special Measures shall be adopted to protect the nearby settlements from the impacts of mining activities. Maintenance of Village roads through which transportation of minor minerals is to be undertaken, shall be carried-out by the project proponent regularly at his own expenses.
30. Measure for prevention & control of soil erosion and management of silt shall be undertaken. Protection of dumps against erosion, if any, shall be carried-out with geo textile matting or other suitable material.
31. Under corporate social responsibility a sum of 5% of the total project cost or total income whichever is higher is to be earmarked for total lease period. Its budget is to be separately maintained. CER component shall be prepared based on need of local habitant. Income generating measures which can help in upliftment of poor section of society, consistent with the traditional skills of the people shall be identified. The programme can include activities such as development of fodder farm, fruit bearing orchards, free distribution of smokeless Chula etc.
32. Possibility for adopting nearest three villages shall be explored and details of civic amenities such as roads, drinking water etc proposed to be provided at the project proponent's expenses shall be submitted within 02 months from the date of issuance of Environment Clearance.
33. The funds earmarked for environmental protection measures should be kept in separate account and should not be diverted for other purpose. Year wise expenditure should be reported to the Ministry of Environment and Forests and its Regional Office located at Lucknow, SEIAA, U.P and UPPCB.
34. Action plan with respect to suggestion/improvement and recommendations made and agreed during Public Hearing shall be submitted to the District mines Officer, concern Regional Officer of UPPCB and SEIAA within 02 months.
35. Environmental clearance is subject to obtaining clearance under the Wildlife (Protection) Act, 1972 from the competent authority, if applicable to this project.
36. The proponent shall observe every 15 day for nesting of any turtle in the area. Based on the observations so made, if turtle nesting is observed, necessary safeguard measures shall be taken in consultation with the State Wildlife Department. For the purpose, awareness shall be created amongst the workers about the nesting sites so that such sites, if any, are identified by the workers during operations of the mine for taking required safeguard measures. In this regards the safety notified zone should be left so that the habitat/nesting area is undisturbed.

Ec for Proposed Sand/Morrum Mine of Gata No.-871 and 581Ga Near Village Pipardih and Koragi, Tehsil-Dudhi, District-Sonbhadra, U.P., (Leased Area: 32.338 Ha), M/S.R.S.J. Stone World Pvt. Ltd.

37. The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bed material and ensure that due to this activity the hydro geological regime of the surrounding area shall not be affected.
38. The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent Authorities for withdrawal of requisite quantity of water (surface water and groundwater), required for the project.
39. Appropriate mitigative measures shall be taken to prevent pollution of the river in consultation with the State Pollution Control Board. It shall be ensured that there is no leakage of oil and grease in the river from the vehicles used for transportation.
40. Vehicular emissions shall be kept under control and regularly monitored. The vehicles carrying the mineral shall not be overloaded.
41. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. (MoEF circular Dated : 22-09-2008 regarding stipulation of condition to improve the living conditions of construction labour at site).
42. Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Occupational health surveillance program of the workers should be undertaken periodically to observe any contractions due to exposure to dust and take corrective measures, if needed.
43. A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zila Parishad/ Municipal Corporation, Urban Local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions/ representations, if any, were received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the Company by the proponent.
44. The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of environmental clearance conditions and shall also be sent to the Regional Office of the Ministry of Environment and Forests, Lucknow by e-mail.
45. The green cover development/tree plantation is to be done in an area equivalent to 20% of the total leased area either on river bank or along road side (Avenue Plantation).
46. Debris from the river bed will be collected and stored at secured place and may be utilized for strengthen the embankment.
47. Safety measures to be taken for the safety of the people working at the mine lease area should be given, which would also include measure for treatment of bite of poisonous reptile/insect like snake.
48. Periodical and Annual medical checkup of workers as per Mines Act and they should be covered under ESI as per rule.

Specific Conditions:-

- 1- The Project Proponent shall abide with any orders which may be passed in any writ petition by the Hon'ble Court(s).
- 2- Since the proposed project is under Red/Orange category of Industrial sector and falls in Critically Polluted Areas (CPAs), Severely Polluted Areas (SPAs) the provision of the mechanism framed regarding compliance of Hon'ble NGT order in OA 1038/2018 dated 19-08-2019 by MoEF& CC, Govt. Of India vide letter dated 31-10-2019 shall be followed in letter and spirit.
- 3- All the additional condition for grant of Consent to Establish (CTE)/Consent to Operate (CTO) related to Pollution mitigation measures as prescribed in the office memorandum of MoEF&CC, Govt dated 31.10.2019 and as deemed fit by UP Pollution Control Board in the consent orders shall be followed by Project Proponent.
- 4- Directions/suggestions given during public hearing and commitment made by the project proponent should be strictly complied.
- 5- The project proponent shall obtain the forest clearance and permission of Central and State Government as per law under the provisions of Forest (conservation) Act, 1980 before the start of work.
- 6- Environment management according to environmental status and impact of the project.
- 7- Selection of plants for green belt should be on the basis of pollution removal index.
- 8- No mining activity should be carried out in-stream channel as per SSMMG, 2016.
- 9- Pakka motorable haul road to be maintained by the project proponent.
- 10- A separate Environmental Management Cell with suitable qualified personnel shall be set-up under the control of a Senior Executive, who will report directly to the Head of the Organization.
- 11- Permission from the competent authority regarding evacuation route should be taken.
- 12- Project proponent should ensure survival of tree saplings. Mortality should be replaced from time to time.
- 13- Site Pit photographs should be submitted with date, time and point coordinate within 15 days.
- 14- One month monitoring report of the area for air quality, water quality, Noise level, Besides flora & fauna should be examined twice a week and be submitted within 45 days for a record.




Ec for Proposed Sand/Morrum Mine of Gata No.-871 and 581Ga Near Village Pipardih and Koragi, Tehsil-Dudhi,
District-Sonbhadra, U.P., (Leased Area: 32.338 Ha), M/S R.S.I. Stone World Pvt. Ltd.

- 15- Provision for cylinder to workers should be made for cooking.
- 16- The capacity of trucks/tractor for loading purpose will be in tonnes as per Transport Department applicable norms and standard fixed by the Government.
- 17- Provide suitable mask to the workers.
- 18- Approach road kaccha is to be made motarable and tree saplings to be planted on both sides of the road.
- 19- Indigenous plants should be planted according to CPCB guidelines and in consultation with local Divisional Forest Officer.
- 20- The project proponent shall in 2 years conduct detailed replenishment study duly authenticated by a QCI-NABET accredited consultant, and the District Mines Officer.
- 21- Provision for two toilets and hand pumps should be made at mining site.
- 22- Drinking water for workers would be provided by tankers.
- 23- Mining should be done by Bar scalping methods extraction (typically 0.3 -0.6 m or 1 -2 ft) as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
- 24- A buffer/safe zone shall be maintained from the habitation as per mining guidelines.
- 25- Corporate Environmental Responsibility (CER) plan with minimum Rs. 2,15,878/-annum shall be prepared by the project proponent and the details of the various heads of expenditure to be submitted as per the guidelines provided in the recent CER notification No. 22-65/2017-IA-III dated 01/05/2018. Work to be executed with installation of five hand pumps for drinking water, solar light in villages of streets, construction of two numbers of toilets at the primary school with name displayed and address and details of beneficiary and gram pradhan along with phone number, photographs should be submitted to Directorate as well as to the District magistrate / Chief Development Officers, Sonbhadra, U.P.
- 26- Health/insurance card, Medical claim, regular health check-up camps, facilities shall be provided to the regular/temporary/Contractual or any base workers. Copy of receipt shall be produced to the Directorate of Environment along with the compliance report.
- 27- Measure for conservation of water through rainwater harvesting and cleaning and maintenance of natural surface water bodies of the nearby areas may be considered as one of the activity in CER.
- 28- The excavated mining material should be carried and transported in such a way that no obstruction to the free flow of water takes place. Suitable measure should be taken and details to be provided to concern Department.
- 29- Width of the haul road shall be more than 6 meter.
- 30- Submit annual replenishment report certified by an authorized agency. In case the replenishment is lower than the approved rate of production, then the mining activity / production levels shall be decreased / stopped accordingly till the replenishment is completed.
- 31- The project proponent shall ensure that if the project area falls within the eco-sensitive zone of National park/ Sanctuary prior permission of statutory committee of National board for wild life under the provision of Wildlife (Protection) Act, 1972 shall be obtained before commencement of work.
- 32- If in future this lease area becomes part of cluster of equal to or more than 25 ha. then additional conditions based on the EIA shall be imposed. The lease holder shall mandatorily follow cluster conditions otherwise it will amount to violation of E.C. conditions. If the certificate related to cluster provided by the competent authority is found false or incorrect then punitive actions as per law shall be initiated against the authority issuing the cluster certificate.
- 33- The Environmental clearance will be co-terminus with the mining lease period.
- 34- Project falling with in 10 KM area of Wild Life Sanctuary is to obtain a clearance from National Board Wild Life (NBWL) even if the eco-sensitive zone is not earmarked.
- 35- To avoid ponding effect and adverse environmental conditions for sand mining in area, progressive mining should be done as per sustainable sand mining management guidelines 2016.
- 36- Geo coordinates should be verified by Director, DGM/District Magistrate/Regional Mining Officer/NHAI and should be submitted to SEIAA/SEAC, Secretariat as earliest.
- 37- In case it has been found that the E.C. obtained by providing incorrect information, submitting that the distance between the two adjoining mines is greater than 500mt. and area is less than 25ha, but factually the distance is less than 500 mt and the mine is located in cluster of area equal or more than 25ha, the E.C issued will stand revoked.
- 38- The project proponent shall in 2 years conduct detailed replenishment study duly authenticated by a QCI-NABET accredited consultant, and the District Mines Officer which shall form the basis for midterm review of conditions of Environmental Clearance.
- 39- The mining work will be open-cast and manual/semi mechanized (subject to order of Hon'ble NGT/Hon'ble Courts (s)). Heavy machine such as excavator, scooper etc. should not be employed for mining purpose. No drilling/blasting should be involved at any stage.



Ec for Proposed Sand/Morrum Mine of Gata No.-871 and 581Ga Near Village Pipardih and Koraj, Tehsil-Dudhi, District-Sonbhadra, U.P., (Leased Area: 32.338 Ha), M/S R.S.I. Stone World Pvt. Ltd.

- 40- It shall be ensured that there shall be no mining of any type within 03 m or 10% of the width which-ever is less, shall be left on both the banks of precise area to control and avoid erosion of river bank. The mining is confined to extraction of sand/moram from the river bank only.
- 41- The project proponent shall undertake adequate safeguard measures during extraction of river bank material and ensure that due to this activity the hydro-geological regime of the surrounding area shall not be affected.
- 42- The project proponent shall adhere to mining in conformity to plan submitted for the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard clearly showing the no work zone in the mine lease i.e. the distance from the bank of river to be left un-worked (Non mining area), distance from the bridges etc. It shall be ensured that no mining shall be carried out during the monsoon season.
- 43- The project proponent shall ensure that wherever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
- 44- The project proponent will provide personal protective equipment (PPE) as required, also provide adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained. For the purpose, schedule of health examination of the workers should be drawn and followed accordingly.
- 45- The critical parameters such as PM10, PM2.5, SO2 and NOx in the ambient air within the impact zone shall be monitored periodically. Further, quality of discharged water if any shall also be monitored (TDS, DO, pH, Fecal Coliform and Total Suspended Solids (TSS))
- 46- Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. Extensive water sprinkling shall be carried out on haul roads.
- 47- It should be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.
- 48- The extended mining scheme will be submitted by the proponent before expiry of present mining plan.
- 49- Four ambient air quality monitoring stations should be established in the core zone as well as in the buffer zone for monitoring PM10, PM2.5, SO2 and NOx. Location of the stations should be decided based on the meteorological data, topographical features and environmentally and ecologically sensitive targets and frequency of monitoring should be undertaken in consultation with the State Pollution Control Board.
- 50- Common road for transportation of mineral is to be maintained collectively. Total cost will be shared/worked out on the basis of lease area among users.
- 51- Proponent will provide adequate sanitary facility in the form of mobile toilets to the labours engaged for the project work.
- 52- Solid waste material viz., gulkha pouchs, plastic bags, glasses etc. to be generated during project activity will be separately storage in bins and managed as per Solid Waste Management rules.
- 53- Green area/belt to be developed along haulage road in consultation of Gram Sabha/Panchyat.
- 54- Natural/customary paths used by villagers should not be obstructed at any time by the activities proposed under the project.
- 55- Digital processing of the entire lease area in the district using remote sensing technique should be done regularly once in three years for monitoring the change of river course by Directorate of Geology and Mining, Govt. of Uttar Pradesh. The record of such study to be maintained and report be submitted to Regional office of MoEF, SEIAA, U.P. and UPPCB.
- 56- A copy of clearance letter will be marked to concerned Panchayat / local NGO, if any, from whom suggestion / representation has been received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the company.
- 57- State Pollution Control Board shall display a copy of the clearance letter at the Regional office, District Industry Centre and Collector's office/Tehsildar's Office for 30 days.
- 58- The project authorities shall advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance and a copy of the clearance letter is available with the State Pollution Control Board and also at web site of the SEIAA at <http://www.seiaaup.in> and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office of the Ministry located in Lucknow, CPCB, State PCB.
- 59- The MoEF/SEIAA or any other competent authority may alter/modify the above conditions or stipulate any further condition in the interest of environment protection.
- 60- Concealing factual data or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions mentioned above may result in withdrawal of this clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- 61- Any appeal against this environmental clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 11 of the National Environment Appellate Authority Act, 1997.
- 62- Waste water from potable use be collected and reused for sprinkling.



Ec for Proposed Sand/Morrum Mine of Gata No. 871 and 581Ga Near Village Pigardih and Koragi, Tehsil-Dudhi, District-Sonbhadra, U.P., (Leased Area: 32.338 Ha), M/S R.S.I. Stone World Pvt. Ltd.

63- During the school opening and closing time vehicle movement will be restricted.

64- A width of not less than 50 meter or 10% width of river can be restricted for mining activities from river bank. A condition can be imposed that mining will be done from river activities from river bank.

Concealing factual data and information or submission of false/fabricated data and failure to comply with any of the conditions stipulated in the Prior Environmental Clearance attract action under the provision of Environmental (Protection) Act, 1986.

This Environmental Clearance is subject to ownership of the site by the project proponents in confirmation with approved Master Plan for Sonbhadra. In case of violation, it would not be effective and would automatically be stand cancelled.

The project proponent has to ensure that the proposed site is not a part of any no- development zone as required/prescribed/identified under law. In case of the violation this permission shall automatically deemed to be cancelled. Also, in the event of any dispute on ownership or land use of the proposed site, this Clearance shall automatically deemed to be cancelled.

Further project proponent has to submit the regular 6 monthly compliance report regarding general & specific conditions as specified in the E.C. letter and comply the provision of EIA notification 2006 (as Amended).

These stipulations would be enforced among others under the provisions of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and EIA Notification, 2006 including the amendments and rules made thereafter.


Member Secretary, SEIAA

No. Parya/SEAC/SQ31-4705/2019 Dated: As above

Copy with enclosure for information and necessary action to:

1. The Principal Secretary, Department of Environment, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Advisor, IA Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi.
3. Additional Director, Regional Office, Ministry of Environment & Forests, (Central Region), Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow.
4. District Magistrate Sonbhadra.
5. The Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, TC-12V, Paryavaran Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow.
6. Copy to Web Master/ guard file.


(Ashish Tiwari)
Member Secretary, SEIAA

सामग्री-4

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

पत्रांक 26257/खनिज/2024

(खनिज अनुभाग)

दिनांक 08/01/2024

आदेश

आर0एस0आई0 स्टोन वर्ल्ड प्रा0लि0, मैनेजिंग डायरेक्टर-श्री विरेन्द्र सिंह जादौन पुत्र श्री गुलजार सिंह जादौन पता-ई 7 एम 708, अरेरा कालोनी, भोपाल के पक्ष में जनपद-सोनभद्र के तहसील-दुखी स्थित ग्राम-पीपरडीह एवं कोरगी के आराजी संख्या-871 व 518 ग रकबा-32.338 हे0 क्षेत्र पर मोरम का 05 वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 16.01.2020 से दिनांक 15.01.2025 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है।

खनन पट्टाधारक द्वारा उक्त खनन पट्टे की देय रायल्टी किश्त जमा न कर दिनांक 25.09.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्री मानसून रिपोर्ट के आधार पर खनन पट्टे की मात्रा का निर्धारण के आधार पर खनन कार्य किये जाने का अनुरोध किया गया, उल्लिखित रिपोर्ट पट्टाधारक को प्रस्तुत किया जाना प्राविधानित है, जो प्रस्तुत नहीं किया गया, और न ही देय धनराशि जमा की गयी।

कार्यालय के पत्र संख्या-2139/खनिज/2023 दिनांक 31.10.2023 द्वारा किश्त की धनराशि जमा कराये जाने हेतु नोटिस दिया गया, जिसमें भी पट्टाधारक द्वारा वांछित धनराशि जमा न कर प्रार्थना पत्र दिनांक 02.11.2023 प्रस्तुत कर पट्टा संचालन नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए कार्यालय द्वारा जारी नोटिस को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। तदक्रम में कार्यालय द्वारा पुनः पत्र संख्या-2192/खनिज/2023 दिनांक 04.11.2023 द्वारा देय धनराशि जमा कराये जाने हेतु सूचित किया गया। पट्टाधारक द्वारा उक्त धनराशि जमा न कर प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2023 प्रस्तुत कर नोटिस निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि शासकीय पत्र संख्या-1659/86-2023 दिनांक 17.05.2023 के द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि पट्टाधारक/परियोजना प्रस्तावक, क्षेत्र के Replenishment Study हेतु NABET/QCI Accredited Agencies अथवा विभाग द्वारा Empanelled Exploration Agencies का चयन करेगा तथा चयनित संस्था से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तों के अधीन स्वयं के व्यय पर Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के भाग-5 के अनुसार Replenishment Study का कार्य करेगा, जिसका परीक्षण जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी(खनन) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा, की व्यवस्था है। पट्टाधारक द्वारा Replenishment Study प्रस्तुत नहीं की गयी है।

कार्यालय के पत्र संख्या-2368/खनिज/2023 दिनांक 01.12.2023 द्वारा पट्टेधारक को 30 दिन के अन्दर देय किश्त व डी0एम0एफ0, टी0डी0एस0 की धनराशि जमा किये जाने हेतु नोटिस निर्गत की गयी, जिसके क्रम में पट्टाधारक द्वारा दिनांक 05.12.2023 को धनराशि जमा न कर अपना प्रस्तुत किया गया, जो संतोषजनक नहीं पाया गया है।

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-59 में निम्नवत प्राविधान हैं:-

"(1) राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, पट्टेदार पर इस बात की सूचना तामील करने के पश्चात् कि वह सूचना प्राप्त होने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को देय स्वामित्व (रायल्टी) सहित पट्टे के अधीन देय कोई धनराशि या अपरिहार्य भाटक का भुगतान करे, यदि उस भुगतान के लिये निश्चित दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर उसका भुगतान न किया गया हो, तो खनन पट्टा समाप्त कर सकता है। यह अधिकार पट्टेदार से ऐसे देयों को भू-राजस्व के

4

बकाया के रूप में वसूली करने के राज्य सरकार के अधिकार के अतिरिक्त होगा और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप नियम (1) के अधीन नोटिस की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार के प्रति देय किसी भाटक स्वामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्हीं अन्य देयों पर 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि जिला मजिस्ट्रेट कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् अवशेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाणपत्र जारी करेगा।"

खनन पट्टाधारक द्वारा खनन पट्टे में निम्नानुसार किश्त की देयता है:-

ब्याज की गणना दिनांक 31.12.2023 तक की गयी है।

देयता की तिथि	किश्त की धनराशि			दिनों की संख्या	व्याज (रु० में)
	देय (रु० में)	जमा (रु० में)	बकाया (रु० में)		
प्रथम पट्टा वर्ष (16.01.2020 से दिनांक 15.01.2021)					
-	3,97,88,675	3,97,88,675	-	-	-
01.02.2020	1,98,94,338	1,98,94,338	-	-	-
01.03.2020	1,98,94,338	1,98,94,338	-	-	-
01.04.2020	1,98,94,338	1,98,94,338	-	-	-
01.05.2020	1,98,94,338	1,98,94,338	-	-	-
01.06.2020	1,98,94,338	1,98,94,338	-	-	-
01.10.2020	1,98,94,338	1,98,94,338	-	-	-
01.11.2020	1,98,94,338	1,98,94,338	-	-	-
01.12.2020	-	-	-	-	-
योग:-	17,90,49,041	17,90,49,041	-	-	-
द्वितीय पट्टा वर्ष (16.01.2021 से दिनांक 15.01.2022)					
01.01.2021	-	-	मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 20.11.2020 के अनुपालन में खनन एवं परियहन प्रतिबन्धित।	-	मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 20.05.2022 के अनुपालन में बकाया किश्त के Wavair के सम्बन्ध में पत्र संख्या-480/खनिज / 2022 दिनांक 20.05.2022 व पत्र संख्या-699/खनिज / 2022 दिनांक 01.06.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। शासन का दिशा-निर्देश अप्राप्त।
01.02.2021	-	-	-	-	-
01.03.2021	-	-	-	-	-
01.04.2021	-	-	-	-	-
01.05.2021	-	-	-	-	-
01.06.2021	-	-	-	-	-
01.10.2021	-	-	-	-	-
01.11.2021	-	-	-	-	-
01.12.2021	-	-	-	-	-
तृतीय पट्टा वर्ष (16.01.2022 से दिनांक 15.01.2023)					
01.01.2022	-	-	मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 20.11.2020 के अनुपालन में खनन एवं परियहन प्रतिबन्धित।	-	-
01.02.2022	-	-	-	-	-
01.03.2022	-	-	-	-	-
01.04.2022	-	-	-	-	-
01.05.2022	-	-	-	-	-
01.06.2022	2,40,72,149	2,40,72,149	-	-	-
01.10.2022	2,40,72,149	2,40,72,149	-	-	-
01.11.2022	2,40,72,149	2,40,72,149	-	-	-
01.12.2022	2,40,72,145	2,40,72,145	-	-	-
योग:-	9,62,88,592	9,62,88,592	-	-	-
चतुर्थ पट्टा वर्ष (16.01.2023 से दिनांक 15.01.2024)					
01.01.2023	5,29,58,727	5,29,58,727	-	-	-
01.02.2023	2,64,79,363	2,64,79,363	-	-	-
01.03.2023	2,64,79,363	2,64,79,363	-	-	-
01.04.2023	2,64,79,363	2,64,79,363	-	-	-
01.05.2023	2,64,79,363	2,64,79,363	-	-	-
01.06.2023	2,64,79,363	1,33,42,038	-	-	-
			1,31,37,326	245	15,57,277.00
			2,64,79,363	214	27,94,480.00

01.10.2023	2,64,79,363	—	2,64,79,363	92	12,01,365.00
01.11.2023	2,64,79,363	—	2,64,79,363	61	7,96,557.00
01.12.2023	2,64,79,363	—	2,64,79,363	31	4,04,808.00
योग:-	26,47,93,631	14,57,38,854	11,90,54,778	—	67,84,487.00
कुल योग:-	54,01,31,264	42,10,76,487	11,90,54,778	—	67,84,487.00

खनन पट्टाधारक पर देय किश्त के सापेक्ष निम्नानुसार डी0एम0एफ0 की देयता है:-

देयता तिथि	देय धनराशि (रु० में)	जमा (रु० में)	बकाया (रु० में)	दिनों की संख्या	ब्याज (रु० में)
प्रथम पट्टा वर्ष (16.01.2020 से दिनांक 15.01.2021)					
16.01.2020	39,78,868	—	39,78,868	1446	23,64,428.00
01.02.2020	19,89,434	—	19,89,434	1430	11,69,133.00
01.03.2020	19,89,434	—	19,89,434	1401	11,45,423.00
01.04.2020	19,89,434	—	19,89,434	1370	11,20,080.00
01.05.2020	19,89,434	—	19,89,434	1340	10,95,551.00
01.06.2020	19,89,434	—	19,89,434	1309	10,70,207.00
01.10.2020	19,89,434	—	19,89,434	1187	9,70,462.00
01.11.2020	19,89,434	—	19,89,434	1156	9,45,117.00
01.12.2020	मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 20.11.2020 के अनुपालन में खनन एवं परिवहन प्रतिबन्धित।	—	—	—	—
	1,79,04,906		1,79,04,906		98,80,401.00
द्वितीय पट्टा वर्ष (16.01.2021 से दिनांक 15.01.2022)					
01.01.2021	मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 20.11.2020 के अनुपालन में खनन एवं परिवहन प्रतिबन्धित।	—	—	—	—
01.02.2021		—	—	—	—
01.03.2021		—	—	—	—
01.04.2021		—	—	—	—
01.05.2021		—	—	—	—
01.06.2021		—	—	—	—
01.10.2021		—	—	—	—
01.11.2021		—	—	—	—
01.12.2021		—	—	—	—
तृतीय पट्टा वर्ष (16.01.2022 से दिनांक 15.01.2023)					
01.01.2022	मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 20.11.2020 के अनुपालन में खनन एवं परिवहन प्रतिबन्धित।	—	—	—	—
01.02.2022		—	—	—	—
01.03.2022		—	—	—	—
01.04.2022		—	—	—	—
01.05.2022		—	—	—	—
01.06.2022	24,07,215	—	—	—	—
01.10.2022	24,07,215	—	24,07,215	579	5,72,785.00
01.11.2022	24,07,215	—	24,07,215	457	4,52,095.00
01.12.2022	24,07,215	—	24,07,215	426	4,21,428.00
योग:-	96,28,860		24,07,215	396	3,91,749.00
			96,28,860		18,38,057.00
चतुर्थ पट्टा वर्ष (16.01.2023 से दिनांक 15.01.2024)					
01.01.2023	52,95,873	—	—	—	—
01.02.2023	26,47,936	—	52,95,873	365	7,94,381.00
01.03.2023	26,47,936	—	26,47,936	334	3,63,457.00
			26,47,936	306	3,32,987.00

01.04.2023	26,47,936	—	26,47,936	275	2,99,253.00
01.05.2023	26,47,936	—	26,47,936	245	2,66,607.00
01.06.2023	26,47,936	—	26,47,936	214	2,32,873.00
01.10.2023	26,47,936	—	26,47,936	92	1,00,114.00
01.11.2023	26,47,936	—	26,47,936	61	66,380.00
01.12.2023	26,47,936	—	26,47,936	31	33,734.00
योग:-	2,64,79,361		2,64,79,361		24,89,781.00
कुल योग:-	5,40,13,123		5,40,13,123		1,42,08,238.00

खनन पट्टाधारक पर देय किश्त के सापेक्ष निम्नानुसार टी0डी0एस0 की देयता है:-

देयता तिथि	देय धनराशि (रु० में)	जमा (रु० में)	बकाया (रु० में)	दिनों की संख्या	ब्याज (रु० में)
प्रथम पट्टा वर्ष (16.01.2020 से दिनांक 15.01.2021)					
16.01.2020	7,95,774	1,95,080	6,00,694	1446	—
01.02.2020	3,97,887	15,91,547	-11,93,660	1430	—
01.03.2020	3,97,887	—	3,97,887	1401	—
01.04.2020	3,97,887	—	3,97,887	1370	—
01.05.2020	3,97,887	—	3,97,887	1340	—
01.06.2020	3,97,887	—	3,97,887	1309	—
01.10.2020	3,97,887	—	3,97,887	1187	—
01.11.2020	3,97,887	—	3,97,887	1156	—
01.12.2020	मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 20.11.2020 के अनुपालन में खनन एवं परिवहन प्रतिबन्धित।	—	—	—	—
योग:-	35,80,980	17,86,627	17,94,356		
द्वितीय पट्टा वर्ष (16.01.2021 से दिनांक 15.01.2022)					
01.01.2021	मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 20.11.2020 के अनुपालन में खनन एवं परिवहन प्रतिबन्धित।	—	—	—	—
01.02.2021	—	—	—	—	—
01.03.2021	—	—	—	—	—
01.04.2021	—	—	—	—	—
01.05.2021	—	—	—	—	—
01.06.2021	—	—	—	—	—
01.10.2021	—	—	—	—	—
01.11.2021	—	—	—	—	—
01.12.2021	—	—	—	—	—
तृतीय पट्टा वर्ष (16.01.2022 से दिनांक 15.01.2023)					
01.01.2022	मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 20.11.2020 के अनुपालन में खनन एवं परिवहन प्रतिबन्धित।	—	—	—	—
01.02.2022	—	—	—	—	—
01.03.2022	—	—	—	—	—
01.04.2022	—	—	—	—	—
01.05.2022	—	—	—	—	—
01.06.2022	4,81,443	—	4,81,443	579	—
01.10.2022	4,81,443	—	4,81,443	457	—
01.11.2022	4,81,443	—	4,81,443	426	—
01.12.2022	4,81,443	—	4,81,443	396	—

योग:-	19,25,772		19,25,772		-
चतुर्थ पट्टा वर्ष (16.01.2023 से दिनांक 15.01.2024)					
01.01.2023	10,59,175	-	10,59,175	365	-
01.02.2023	5,29,587	-	5,29,587	334	-
01.03.2023	5,29,587	-	5,29,587	306	-
01.04.2023	5,29,587	-	5,29,587	375	-
01.05.2023	5,29,587	-	5,29,587	245	-
01.06.2023	5,29,587	-	5,29,587	214	-
01.10.2023	5,29,587	-	5,29,587	92	-
01.11.2023	5,29,587	-	5,29,587	61	-
01.12.2023	5,29,587	-	5,29,587	31	-
योग:-	52,95,871		52,95,871		
कुल योग:-	1,08,02,626		90,15,999		

उपरोक्त खनन पट्टे में किश्त के मद में रू0 11,90,54,778, ब्याज रू0 67,84,487, डी0एम0एफ0 के मद में रू0 5,40,13,123, ब्याज रू0 1,42,08,238, टी0सी0एस0 के मद में रू0 90,15,999 कुल कुल 20,30,76,625 की देयता है।

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-61(1), (2) में निम्नवत् प्राविधान है:-

(1) पट्टेदार द्वारा इन नियमों या पट्टे में दी गई या दी गई समझी जाने वाली शर्तों और प्रसंविदाओं के सिवाय उनके, जो स्वामित्व, भाटक या राज्य सरकार को देय अन्य धनराशियों के भुगतान से संबंधित हो, भंग या उल्लंघन किये जाने की दशा में राज्य सरकार पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् पट्टा समाप्त कर सकती है। यह अधिकार नियम 60 के उपबंधों के अतिरिक्त होगा और इसका उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।


(2) यदि उप नियम (1) अथवा नियम-59 के अधीन पट्टा समाप्त कर दिया जाता है तो पट्टेदार का नाम जिला अधिकारी द्वारा दो वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे, काली सूची में डाल सकता है, जो विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी और ऐसी अवधि के दौरान उसको इस नियमावली के अधीन कोई खनिज परिहार अनुमन्य नहीं होगा। इस संबंध में, यथास्थिति, खनन पट्टे के रजिस्टर में या नीलाम रजिस्टर के अभ्युक्ति वाले स्तम्भ में एक प्रविष्टि अंकित कर दी जायेगी।

खनन पट्टाधारक द्वारा प्रतिभूति के मद में रू0 4,97,35,844/- चालान संख्या-BM94748 दिनांक 22.02.2019 द्वारा जमा किया है। आवेदक द्वारा अवैध खनन पर आरोपित धनराशि रू0 64,50,800/- जमा न किये जाने पर आदेश दिनांक 08.06.2023 द्वारा रू0 64,50,800/- की कटौती कर ली गयी है तथा रू0 4,32,85,044/- की बकाया देय है:-

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि (रू0 में)
1.	किश्त के मद में	
2.	18 % साधारण ब्याज (दिनांक 31.12.2023 तक)	11,90,54,778
3.	डी0एम0एफ0 के मद में	67,84,487
4.	15 % साधारण ब्याज (दिनांक 31.12.2023 तक)	5,40,13,123
		1,42,08,238

5.	टी०सी०एस०	90,15,999
6.	जमा प्रतिभूति	(-) 4,32,85,044
शेष धनराशि		15,97,91,581

अतः उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-59 के अन्तर्गत उपरोक्त खनन पट्टा जनपद सोनभद्र के तहसील-दुद्धी स्थित ग्राम-पीपरडीह एवं कोरगी के आराजी संख्या-871 व 518 ग रकबा-32.338 हे० मोरम क्षेत्र को निरस्त कर रिक्त घोषित किया जाता है तथा नियम-61(2) के अन्तर्गत खनन पट्टाधारक का नाम 02 वर्ष की अवधि हेतु काली सूची में डाला जाता है तथा पट्टाधारक को निर्देशित किया जाता है कि 15 दिवस के अन्दर उपरोक्त धनराशि रू० 15,97,91,581/- जमा करना सुनिश्चित करें। पट्टाधारक द्वारा वांछित धनराशि निर्धारित समय से जमा नहीं किये जाने पर बकाया धनराशि को भू-राजस्व की भाँति वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी।


(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त:-

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त उप जिलाधिकारी, सोनभद्र।
5. आर०एस०आई० स्टोन वर्ल्ड प्रा०लि०, मैनेजिंग डायरेक्टर-श्री विरेन्द्र सिंह जादौन पुत्र श्री गुलजार सिंह जादौन पता-ई 7 एम 708, अरेरा कालोनी, भोपाल को अनुपालनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

संलग्नक 5

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 2643/खनिज/मोरम/ई-निविदा सह ई-नीलामी/2024

दिनांक: 10/01/2024

ई-निविदा सह ई-नीलामी आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद-सोनभद्र में नदी तल में उपलब्ध मोरम के निम्नलिखित खनन क्षेत्र को उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-23(2)(क) के अधीन ई-निविदा सह-ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु निम्नवत् घोषित किया जाता है:-

क्र० सं०	उपखनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				जियो को-आर्डिनेटस		नियमावली 2021 के अनुसूची-1 के अनुसार रायल्टी दर (रु० प्रति घनमीटर)	खनन योग्य आकलित उप खनिज का भण्डार (घनमी० प्रतिवर्ष)	प्रथम वर्ष में आकलित भण्डार की कुल रायल्टी रूपयों में (कालम-11 में अंकित घनमी० प्रतिवर्ष को कालम-10 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि) (रूपये में)	अर्नेस्टमनी (कालम 12 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत) (रूपये में)
			तहसील	ग्राम	गाटा सं०/खण्ड सं०/जोन सं०	क्षेत्रफल (हे० में)	Latitude	Longitude				
1	मोरम	कनहर	दुद्धी	पीपरडीह एवं कोरगी	871 घ 518ग	32.338	A-24°14'10.98"N B-24°14'20.47"N C-24°14'35.62"N D-24°14'40.99"N E-24°14'46.66"N F-24°14'54.27"N G-24°14'47.71"N H-24°14'21.93"N I-24°14'9.51"N	83°16'13.53"E 83°16'15.43"E 83°16'16.52"E 83°16'16.11"E 83°16'12.08"E 83°16'13.82"E 83°16'22.45"E 83°16'25.74"E 83°16'22.03"E	150/-	2,58,704	3,88,05,600/-	97,01,400/-

2- ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली द्वारा नदी तल में उपलब्ध उप खनिजों के खनन पट्टे 05 वर्ष की निश्चित अवधि के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। खनन पट्टे की अवधि की गणना पट्टा विलेख के निष्पादन के तिथि से की जायेगी।

3- ई-निविदा सह ई-नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी:-

प्रेस विज्ञप्ति (विज्ञप्ति का प्रकाशन)	दिनांक 18/01/2024
प्री-बिड अर्नेस्ट मनी (ई० एम०डी०) एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	ई-निविदा डालने से पूर्व एम०एस०टी०सी० में अपेक्षित अर्नेस्ट मनी(ई०एम०डी०) एवं आवेदन शुल्क एम०एस०टी०सी० की वेबसाइट पर वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार जमा करने की जिम्मेदारी बोलीदाता की है एवं बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें।
प्रथम चरण में ई-निविदा (ई-टेण्डर) की अवधि	दिनांक 19/02/2024 को 10:30 बजे से दिनांक 26/02/2024 को 5:00 बजे तक।
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा को खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	दिनांक 27/02/2024 को 10:30 बजे क्रमांक-1 पर विज्ञापित क्षेत्र।
द्वितीय चरण की ई-नीलामी की अवधि	दिनांक 27/02/2024 को 12:30 बजे से 02:30 बजे तक क्रमांक-1 पर विज्ञापित क्षेत्र।

ई-निविदा सह ई-नीलामी से सम्बन्धित समस्त जानकारी ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु नोडल संस्था मै० एम०एस०टी०सी० के पोर्टल (www.mstcecommerce.com) पर उपलब्ध है तथा क्वैरी कार्यालय, सोनभद्र से भी उक्त जानकारी किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र

सामग्री-6

6

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 3012 / खनिज / 2024

दिनांक 13 / 03 / 2024

मे0 अंजली कन्सट्रक्शन इण्टरप्राइजेज

पता एस 24 ए0जी0 अजय विहार कालोनी, टकटकपुर, वाराणसी

प्रोपराइटर—श्री मीरा सिंह पत्नी श्री अजय सिंह

निवासी 24 / 17 ए0जी0 अजय विहार कालोनी, टकटकपुर,

तहसील—सदर, जनपद—वाराणसी।

मोबाइल नं0—9628356780

ई0मेल आई0डी0 ajay.singh1474@gmail.com**आशय—पत्र****(Letter of Intent)**

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-23(2)(क) के प्राविधानों के अधीन ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रणाली के माध्यम से खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या-2643/खनिज/मोरम/ई-निविदा सह ई-नीलामी/2024 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा रिक्त घोषित करते हुये इच्छुक एवं अर्ह व्यक्तियों से निविदा सह बोली आमंत्रित की गयी थी।

2- उक्त क्रम में जनपद—सोनभद्र की तहसील—दुद्धी स्थित ग्राम—पीपरडीह एवं कोरगी के आराजी संख्या—871 व 518ग रकबा—32.338 हे0 में उपलब्ध वार्षिक आंकलित मात्रा 2,58,704 घन मीटर मोरम के लिये सेवा प्रदाता एजेन्सी (एम0एस0टी0सी0) के माध्यम से आपने रु0 656/- (रुपये छः सौ छप्पन मात्र) प्रति घन मीटर की बोली विज्ञप्ति दिनांक 10.01.2024 में उल्लिखित शर्तों के अधीन दी है।

3- अतः आपके द्वारा दी गयी बोली सर्वोच्च एवं सन्तोषजनक पाये जाने पर निम्न शर्तों के अधीन एतद्द्वारा औपबन्धिक रूप से उसे स्वीकार की जाती है:-

शर्त:-

1. विषयगत क्षेत्र में उपलब्ध वार्षिक आंकलित मात्रा 2,58,704 घन मीटर मोरम के लिये रु0 656/- (रुपये छः सौ छप्पन मात्र) मात्र प्रति घन मीटर की दर के अनुसार प्रथम वर्ष के लिये वार्षिक पट्टा धनराशि रु0 16,97,09,824/- (रुपये सोलह करोड़ सन्तानबे लाख नौ हजार आठ सौ चौबीस) मात्र आगणित होती है, अतएव उक्त धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि रु0 4,24,27,456/- (रुपये चार करोड़ चौबीस लाख सत्ताईस हजार चार सौ छप्पन) मात्र प्रतिभूति के मद में एवं 20 प्रतिशत धनराशि रु0 3,39,41,965/- (रुपये तीन करोड़ उन्तालिस लाख एकतालिस हजार नौ सौ पैसठ) मात्र प्रथम किश्त के मद में आपको इस आशय—पत्र के निर्गमन के दिनांक से, दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा करने होंगे। बयाने के रूप में जमा धनराशि (अर्नेस्टमनी) प्रतिभूति के मद में जमा होने वाली धनराशि में समायोजित होगी। आशय—पत्र जारी करने के दो कार्य दिवसों के अन्दर नियत धनराशि इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है अन्यथा यदि आप धनराशि जमा करने में विफल रहते हैं, तब आपके द्वारा अर्नेस्टमनी के मद में जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में आप

....2...

(2)

- द्वारा कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तब वे विचारणीय नहीं होंगे।
2. मौरम का खनन पट्टा पाँच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जायेगा। प्रथम वर्ष हेतु देय धनराशि 16,97,09,824/- (रूपये सोलह करोड़ सन्तानबे लाख नौ हजार आठ सौ चौबीस) मात्र पर अनुवर्ती वर्षों में वार्षिक पट्टा धनराशि 10 प्रतिशत की उत्तोल्लर वृद्धि सहित देय होगी।
 3. प्रथम वर्ष के लिये अवशेष पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिए निर्धारित पट्टा धनराशि उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 में नियत समयानुसार राज्य सरकार को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भुगतान की जायेगी। देय किश्त की धनराशि जमा न करने की दशा में नियमावली, 2021 के नियम-59 के अनुसार देय धनराशि, नियमानुसार ब्याज सहित वसूल की जायेगी।
 4. आशय-पत्र (Letter of Intent) निर्गत होने के एक माह के अन्दर, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, लखनऊ के समक्ष खनन योजना, खान बन्दी योजना सहित अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा तथा अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियमावली, 2021 के नियम 60(1) के प्राविधानों के अर्न्तगत रु0 10,000/- प्रति दिन की दर से शास्ति देय होगी।
 5. उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-17 के प्राविधानों के अनुसार पट्टेदार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा तथा नियम-36 के अनुसार सीमा स्तम्भ लगायेगा एवं उनका अनुरक्षण करने हेतु सदैव उत्तरदायी होगा।
 6. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्ति से एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल आरम्भ की जायेगी।
 7. नियमावली, 2021 के नियम 35(4) के अर्न्तगत पर्यावरण की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समयावधि में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का परियोजना प्रस्तावक द्वारा समाधान किया जाना अनिवार्य होगा। नियम 35(4) के उल्लंघन की दशा में जिलाधिकारी नियमावली, 2021 के नियम 60(7) के अर्न्तगत जारी आशय-पत्र (Letter of Intent) निरस्त कर सकेंगे।
 8. नियमावली, 2021 के नियम-35 के अनुसार क्षेत्र में भूमि उद्धार एवं पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा कराये जाने हेतु पट्टेदार उत्तरदायी होगा।
 9. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय पर निर्धारित कर व शुल्क यथा आयकर रायल्टी का 2.00% टी0सी0एस0(वर्तमान दर) एवं जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास, सोनभद्र में उपादान के रूप में रायल्टी की 10% धनराशि तथा शक्तिनगर विशेष प्राधिकरण, सोनभद्र (साडा) सम्बन्धित उपकर आदि नियमानुसार पट्टेदार जमा करायेगे।
 10. पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र



(3)

पर खनन पट्टा क्षेत्र का कॉर्डिनेट्स पट्टेदार अंकित करायेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व में अपने स्वयं के व्यय पर पट्टेदार ऐसे सीमा चिन्ह के खम्भे लगायेगा, जो पट्टा विलेख से संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने हेतु आवश्यक होंगे।

11. पट्टा विलेख के निष्पादन के दिनांक से यथाशीघ्र खनन संक्रियायें पट्टेदार आरम्भ करेंगे और तत्पश्चात जान-बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेंगे।
12. पट्टेदार नियम-36 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व उनकी निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकॉर्डिंग के योग्य चार आई0वी0आर0 सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये जाने सहित चैक पोस्ट/गेट का निर्माण करेंगे। पट्टेदार उक्त चैक पोस्ट/गेट पर आर0एम0 आइ0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उप खनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई0-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित क्यू0आर0 कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख-रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप से अनुरक्षित रखेगा। पट्टेदार उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एम0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकॉर्डिंग को कम से कम तीस दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर रिकॉर्ड को उन्हें उपलब्ध करायेगा।
13. पट्टेदार प्रत्येक वाहन को ई0-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेंगे। प्रत्येक वाहन को निर्गत ई0-एम0एम0-11 जनित क्यू0आर0कोड को चैक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए पट्टेदार आर0एम0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली, 2021 के नियम-60 के अन्तर्गत वह शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
14. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक: 05.09.2018 के अनुपालन में पट्टेदार द्वारा खदान के निकासी स्थल पर तौल मशीन लगवा कर निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त सॉफ्टवेयर में इन्टीग्रेट कराया जायेगा। इन्टीग्रेट में स्थित तौल मशीन में निम्न Features का होना आवश्यक है:-
 - (1) The Weight bridge device should use the MQTT protocol to transmit data.
 - (2) The Weight bridge device should transmit data over the internet to IOT infrastructure in cloud.
15. खनन क्षेत्र में तीन मीटर की गहराई अथवा जल स्तर, में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियायें पट्टेदार द्वारा नहीं की जायेगी।
16. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन कार्य पट्टेदार द्वारा नहीं किया जायेगा।



(4)

17. नदी की जल धारा में संकशन लिफ्टर मशीन द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
18. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहाँ अभिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहाँ पर खनिजों का विक्रय मूल्य पट्टेदार द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा।
19. यदि पट्टेदार द्वारा नियमों व खनन पट्टा के पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो पट्टेदार को अपना पक्ष रखने की युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
20. उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-68 के अधीन भूमि के स्वामियों को प्रतिकर पाने का अधिकार होगा, जो भू-स्वामियों एवं पट्टेधारक के मध्य तय होगा।
21. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा आपराधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
22. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है, तो वह पट्टेदार को मान्य होगा।
23. खनन पट्टा क्षेत्र हेतु Air (Prevention and Control of Pollution) 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTE/CTO प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही खनन/परिवहन संकियायें प्रारम्भ की जायेगी।
24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन हेतु विधितः बाध्य होगा।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ से अनुमोदित खनन योजना एवं सक्षम प्राधिकारी से निर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, जिससे खनन पट्टे की स्वीकृति एवं खनन पट्टाविलेख के निष्पादन की कार्यवाही पूर्ण हो सके।

(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र

पत्रांक व तददिनांक 30/12

बिमा नहीं/NOT INSURED

RU 6477017 22 IN

लगाये गये टिकटों का मूल्य रु० 32 पैं०

Amount of Stamps affixed Rs. 32 P.

एक रजिस्ट्री में अजलीकृत प्राप्त किया

Received a Registered

पाने वाले का नाम श्री वि सिंह

Address to ... वाराणसी

वारीय मोहर

एफ.डी. नं०-231216-01-02

पाने वाले अधिकारी का नाम
Signature of Registering Officer
15103124

एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
देशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।
भारी अधिकारी (खनन), सोनभद्र।
लिमिटेड, ग्राउंड फ्लोर, सीडब्ल्यूसी, क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र०, लखनऊ।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र

(2)

Services for Citizen

Uttar Pradesh, At: Sonbhadra District, Sonbhadra District, Sonbhadra District

भारत

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

संभद्रा-7

मेवा में

जिलाधिकारी
Sonbhadra

संख्या :-

2024/7/9/376778

दिनांक :- 2024-12-25

विषय :-

पट्टाधारक श्री M/s Anjali Construction Enterprises के पक्ष में स्वीकृत जनपद Sonbhadra में तहसील Dudhi ग्राम-Piperdih & Korgi गाटा सं०-871,518 g क्षेत्रफल 32.3380 हे० में उपखनिज मोरम, के खनन पट्टे हेतु प्राप्त खनन योजना का अनुमोदन के संबंध में।

महत्व :-

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि उक्त संदर्भित क्षेत्र के संबंध में पट्टाधारक श्री M/s Anjali Construction Enterprises द्वारा प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन उत्तर प्रदेश उप-खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम-35 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दिनांक 2024-12-25 को कर दिया गया है।

1-

“खनन योजना” का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया गया है:-

(क)

“खनन योजना” का अनुमोदन खनन पट्टा विलेख निष्पादन के दिनांक से आगामी 60 (माह में) अवधि तक के लिए अनुमोदित किया जाता है। खनन क्षेत्र से 258704.00 घन मी० प्रतिवर्ष खनिज का उत्पादन अनुमन्य किया गया है।

(ख)

अनुमोदित अवधि में किये गये खनन कार्य के निरीक्षण के उपरान्त यदि खनन योजना में संशोधन हेतु आदेश दिये जाते हैं, तब संशोधित खनन योजना प्रस्तुत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व पट्टेदार का होगा।

(ग)

आवद्ध नियोजित श्रमिकों को सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने तथा सुरक्षित खनन कार्य करने हेतु सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का दायित्व पट्टेदार का होगा।

(घ)

अनुमोदित खनन योजना की एक-एक प्रमाणित प्रति संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय एवं निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय में अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व भी पट्टेदार का होगा।

(ङ)

अनुमोदित खनन योजना में विनिहित प्रक्रिया के अनुसार पट्टेदार द्वारा खनन कार्य न किये जाने के पाये जाने पर पट्टेदार के विरुद्ध पट्टे की शर्त का उल्लंघन माना जायेगा और तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(च)

खनन योजना को निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ अनुमोदित किया जाता है:-

1. बेंच की ऊँचाई अधिकतम 01 मी० एवं चौड़ाई न्यूनतम 10 मी० होनी चाहिए। खनन कार्य जीरो लेवल से ऊपर की ओर किया जायेगा।

2. खनन पट्टा स्थल पर फ्रस्ट एड बॉक्स व स्ट्रेचर रखे जायें।

3. श्रमिकों के लिये श्रमिक विश्राम गृह उनके पीने के पानी आदि की समुचित व्यवस्था की जायें।

4. खनन क्षेत्र से मुख्य मार्ग तक जाने वाले पहुँच मार्ग (कच्चे मार्ग) पर नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जायेगा, ताकि वाहनों के आवागमन से उत्पन्न धूल को उड़ने से रोका जा सके।

5. जहाँ तक व्यवहारिक हो नदी से तटबन्ध की ओर खनन किया जायेगा।

6. पर्यावरण स्वच्छता के संबंध में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि अनुमोदित खनन योजना की संलग्न मूल प्रति सम्बन्धित पट्टेदार को अनुपालन हेतु उपलब्ध करा कर उनसे प्राप्ति रसीद प्राप्त कर निदेशालय को भिजवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(नवीन कुमार दास)

संयुक्त निदेशक।

संख्या :- 2024/7/9/376778 (1)/मा0 प्लान ,तद् दिनांक

प्रतिक्रिया: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0, जनपद- **Sonbhadra**
- 2- पट्टाधारक श्री M/s Anjali Construction Enterprises नि0 तहसील **Dudhi** जनपद **Sonbhadra**
- 3- खनन अनुभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

भवदीय

Digitally signed by NAVEEN KUMAR DAS
Date: 25 Dec 2024 14:00:41

(नवीन कुमार दास)

संयुक्त निदेशक।

Digitally signed by NAVEEN KUMAR DAS
Date: 25 Dec 2024 14:00:42



File No.: 5031/4705
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(Issued by the State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA),
UTTAR PRADESH)



Dated 11/07/2024



To,

Smt. MEERA SINGH
M/s ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES,
R/o 24/17, AG, Ajay Vihar Colony, Taktakpur, District - Varanasi 221002, VARANASI, UTTAR
PRADESH, 221002
anjaliconssvns@gmail.com

Subject:

Grant of Transfer of EC to the project under the provision of the EIA Notification 2006 and as amended thereof regarding Riverbed Morrum mining" along river Kanhar at Gata No.: 871 and 518Ga, at Village – Pipardih & Koragi, Tehsil – Duddhi, District – Sonbhadra, Uttar Pradesh

Sir/Madam,

This is in reference to your application submitted to SEIAA vide proposal number SIA/UP/MIN/470869/2024 dated 27/04/2024 for grant of transfer of EC to the project under the provision of para 11 of the EIA Notification 2006-and as amended thereof.

2. The particulars of the proposal are as below :

(i) EC Identification No.	EC24B0107UP5171842T
(ii) File No.	5031/4705
(iii) Clearance Type	Transfer of EC
(iv) Category	B1
(v) Schedule No./ Project Activity	1(a) Mining of minerals Transfer of Environmental clearance of "Riverbed Morrum mining" having lease area – 32.338 ha along river Kanhar in Gata No.: 871 and 518Ga, at Village – Pipardih & Koragi, Tehsil – Duddhi, District – Sonbhadra, Uttar Pradesh of M/s R.S.I Stone World Pvt. Ltd. (earlier Lessee) in favor of M/s ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES, proprietor Smt. Meera Singh.
(vii) Name of Project	SONBHADRA, UTTAR PRADESH
(viii) Location of Project (District, State)	SEIAA
(ix) Issuing Authority	02/07/2024
(x) EC Date	MEERA SINGH, S 24/17, AG, Ajay Vihar Colony,
(xi) Details of Transferee	

(xii) Details of Transferor

Taktakpur, District - Varanasi
 221002, Taktakpur, 187,9,221002
 M/s R.S.I Stone World Pvt. Ltd., Proponent Shri
 Virendra Singh Jadon, E- 7, M-708, Area colony,
 Bhopal - 462016, E- 7, M-708, Area
 colony, 396,23,462016

3. In view of the particulars given in the Para 1 above, the project proposal interalia including Form-7 were submitted to the SEAC under the provision of Para 11 of the EIA notification 2006 and its subsequent amendments. Details in Form 7 can be accessed on PARIVESH portal by scanning the QR Code above.
4. The SEAC/SEIAA has examined the requisite information/documents required for transfer of EC in accordance with the provisions contained in the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 & further amendments thereto and hereby accords Transfer of EC dated to MEERA SINGH under the provisions of EIA Notification, 2006 and as amended thereof subject to compliance of EC conditions issued EC letter.
5. The SEIAA may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the EC conditions is not satisfactory. The SEIAA reserves the right to stipulate additional conditions, if found necessary.
6. The PP is under obligation to implement commitments made in the Environment Management Plan, which forms part of the prior EC issued vide dated 09-01-2020.
7. This issue with the approval of the Competent Authority.

Additional EC Conditions

SEIAA noted that the previous lease issued to Shri Virendra Singh Jadon, M/s R.S.I Stone world Pvt. Ltd. Bhopal was cancelled vide DM, Sonebhadra order no. 2625/Khanij/2024 dated 08.01.2024 and another LOI was issued to M/s Anjali Constructions Enterprise Prop. Smt. Meera Singh, W.o Shri Ajay Singh, 24/17 A.G. Ajay Vihar Colony Taktakpur, Tehsil, Sadar, District Varanasi for 2,58,704 cum per annum production capacity vide letter no. 3012/Khanij/2024 dated 13.03.2024.

Hence SEIAA opined to transfer Environmental Clearance issued vide letter no. 516/Parya/SEAC/5031-4705/2018 dated 09.01.2020 from Shri Virendra Singh Jadon, M/s R.S.I Stone world Pvt. Ltd. Bhopal to M/s Anjali Constructions Enterprise Prop. Smt. Meera Singh, W.o Shri Ajay Singh, 24/17 A.G. Ajay Vihar Colony Taktakpur, Tehsil, Sadar, District Varanasi SEIAA added following conditions:-

1. Transfer of EC is granted for a period upto 08.01.2025 or validity of current mine plan or current lease period whichever is earlier and after this the original EC and transfer order both will become null and void.
2. For remaining period, Project Proponent shall submit replenishment study to SEIAA, UP for amendment in EC for mineable quantity and maximum permissible depth for mining based on scientific findings of replenishment study. Such study shall be placed before SEAC for appraisal to assess rate of deposition and accordingly, mineable production capacity and depth can be prescribed based on trends analysis, provided it is found scientifically satisfactory by the SEAC.
3. A certificate from Forest Department shall be obtained that no forest land is involved in mining or as a route and if forest land is involved the project proponent shall obtain forest clearance and permission of Central and State Government as per the provisions of Forest (conservation) Act, 1980 and submit before the start of work.
4. The mining lease holders shall, after ceasing mining operations, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora fauna etc.
5. If the proposed project is situated in notified area of ground water extraction, where creation of new wells for ground water extraction is not allowed, requirement of fresh water shall be met from alternate water sources other than ground water or legally valid source and permission from the competent authority shall be obtained to use it.
6. Project Proponent should submit action plan for carrying out plantation at least @1,000 plants / ha of lease area. In this case, PP should prepare a plan, duly approved either by Forest Department or Horticulture Department, for planting at least 33,000 plants, either on government land or community land, within a periphery of 5 km from the boundary of the lease area along with provision for maintenance for 5 years. Survival of plants should not be less than the survival rate notified by Uttar Pradesh Forest Department otherwise it will be treated as violation of EC condition.
7. The project proponent shall ensure that water bodies do not get polluted due to mining activity and in consultation with District Environment Authority or an Authority nominated by concerned DM, project proponent will prepare a

conservation and management plan for rejuvenation and management of all water bodies within periphery of 5 km. Funds for the same will be kept in a separate bank account and six monthly compliance status will be presented by project proponent before the nominated authority in the District.

8. Department of Geology and Mines, Government of Uttar Pradesh and / or concerned district administration, before releasing the security deposit to Project Proponent will ensure that Project Proponent has fully complied with the EC conditions. Non-compliance, if any, should be reported to UPSPCB for appropriate legal action and recovery of compensation.

9. If the air quality deteriorates due to mining, then District Administration & Directorate of Mining should ensure that mining be stopped immediately. Adequate measures be taken for restoring air quality and mining should commence only when air quality attains the prescribed standards.

Rest all the content of Environmental Clearance letter no. 516/Parya/SEAC/5031-4705/2018 dated 09.01.2020 shall remain same.

Area mentioned in the previous EC is being transferred only. If there is a change in geo-coordinates of the area then EC will be null and void

Signature Not Verified

Digitally Signed by: Member Secretary UP
Member Secretary, SELKA

Date: 15/07/2024

संख्या 9

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

सेवा में,

निदेशक पर्यावरण/सदस्य सचिव,
SEAC, पर्यावरण निदेशालय, पर्यावरण भवन,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक 2234/खनिज/2024

दिनांक 04/01/2025

विषय:- पर्यावरणीय अनापत्ति संख्या-516/Parya/SEAC/5031-4705/ 2018 दिनांक
09.01.2020 की विधि मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मे० अंजली कन्सल्टिंग इण्टरप्राइजेज प्रोपराइटर श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री अजय सिंह निवासी 24/17 ए०जी० अजय विहार कालोनी, टकटकपुर, तहसील-सदर, जनपद वाराणसी द्वारा दिनांक 29.12.2024 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उनके पक्ष में जनपद-सोनभद्र के तहसील-दुद्धी स्थित ग्राम-पीपरडीह एवं कोरगी के आराजी संख्या-871 व 518 ग रकबा-32.338 हे० क्षेत्र पर मोरम का 05 वर्षीय खनन पट्टा स्वीकृत है। प्रश्नगत क्षेत्र पर पूर्व में आर०एस०आई० स्टोन वर्ल्ड के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत था, जिसके सम्बन्ध में पत्र संख्या-516/Parya/SEAC/5031-4705/2018 दिनांक 09.01.2020 द्वारा पर्यावरणीय अनापत्ति दी गयी थी। आपके कार्यालय से निर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति संख्या-EC24B0107 UP5171842T File No. 5031/4705 दिनांक 11.07.2024 के क्रम में प्रश्नगत खनन पट्टा संचालित है। उक्त पर्यावरणीय अनापत्ति की वैधता दिनांक 08 जनवरी, 2025 तक है, जबकि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 18.01.2021 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 01 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि की गणना पर्यावरणीय अनापत्ति की वैधता से बाहर रखा जाना है। अतः पर्यावरणीय अनापत्ति की गणना जो दिनांक 08.01.2025 तक होनी है, उसे दिनांक 07.01.2026 तक करने की कृपा करें।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मे० अंजली कन्सल्टिंग इण्टरप्राइजेज प्रोपराइटर-श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री अजय सिंह निवासी 24/17 ए०जी० अजय विहार कालोनी, टकटकपुर, तहसील-सदर, जनपद-वाराणसी के पक्ष में जनपद-सोनभद्र के तहसील-दुद्धी स्थित ग्राम-पीपरडीह एवं कोरगी के आराजी संख्या-871 व 518 ग रकबा-32.338 हे० क्षेत्र पर मोरम का 05 वर्षीय खनन पट्टा आपके कार्यालय से निर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति संख्या-516/Parya/SEAC/5031-4705/ 2018 दिनांक 09.01.2020 के सत्यापन संख्या-EC24B0107 UP5171842T File No. 5031/4705 दिनांक 11.07.2024 के आधार पर द्वारा संचालित है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, की अधिसूचना दिनांक 18.01.2021 में उल्लिखित है कि -

“उक्त अधिसूचना में,

(2)

(i) उप शीर्ष II "चरण (2) विस्तारण", के अधीन पैरा 7 के उप पैरा 7(i) में, खंड(viii) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा अर्थात्—

“(ix) उपरोक्त में अंतर्विष्ट किसी बाद के होते हुए, 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉक डाउन (कुल या आंशिक) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबन्धों के अधीन मंजूर संदर्भ की शर्तों की विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, तथापि उक्त संदर्भ की शर्तों के संबंध में इस अवधि के दौरान अपनाए गये सभी क्रियाकलाप विधिमान्य समझे जाएंगे।”

(ii) पैरा 9क के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्

“9क. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 की अवधि में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप को देखते हुए और तत्पश्चात इसके नियंत्रण के लिए घोषित लॉकडाउन (कुल या आंशिक) की दृष्टि में इस अधिसूचना के उपबन्धों के अधीन मंजूर पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की विधिमान्यता की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, तथापि उक्त पर्यावरणीय अनापत्ति के संबंध में इस अवधि के दौरान अपनाए गए सभी क्रियाकलाप विधि मान्य समझे जाएंगे।”

अतः अधिसूचना दिनांक 18.01.2021 के क्रम में निर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति संख्या-516 /Parya/SEAC/5031-4705/ 2018 दिनांक 09.01.2020 की विधि मान्यता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना, मे० अंजली कन्सल्टिंग इण्टरप्राइजेज प्रोपराइटर-श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री अजय सिंह निवासी 24/17 ए०जी० अजय विहार कालोनी, टकटकपुर, तहसील-सदर, जनपद-वाराणसी के पक्ष में जनपद-सोनभद्र के तहसील-दुद्धी स्थित ग्राम-पीपरडीह एवं कोरगी के आराजी संख्या-871 व 518ग रकबा-32.338 हे० क्षेत्र पर स्वीकृत मोरम के खनन पट्टे पर लागू होगी अथवा नहीं, के सम्बन्ध में अभिमत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बद्री नाथ सिंह)
जिलाधिकारी,

सोनभद्र।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त:-

प्रतिलिपि:- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,

सोनभद्र।

प्रभक,

निदेशक,
पर्यावरण निदेशालय उ०प्र०
लखनऊ

समाप्त-6

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक: 890 सामान्य/पर्या/2025

दिनांक 06 जनवरी, 2025

विषय: पर्यावरणीय अनापत्ति संख्या-516/Parya/SEAC/5031-4705/2018 दिनांक 09.01.2020 की विधि मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक 2234/खनिज/2024 दिनांक 04.01.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अधिसूचना दिनांक 18.01.2021 के क्रम में निर्गत पर्यावरणीय अनापत्ति संख्या-516/Parya/SEAC/5031-4705/2018 दिनांक 09.01.2020 की विधि मान्यता के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त अधिसूचना, मे० अंजली कन्सट्रक्शन इण्टरप्राइजेज प्रोप्राइटर-श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री अजय सिंह निवासी 24/17 ए०जी० अजय विहार कालोनी, टकटकपुर, तहसील-सदर, जनपद-वाराणसी के पक्ष में जनपद-सोनभद्र के तहसील-दूधही स्थित ग्राम-पीपरडीह एवं कोरगी के आराजी संख्या-871 व 518 ग रकबा 32.33 हे० क्षेत्र पर स्वीकृत मोरम के खनन पट्टे पर लागू होगी अथवा नहीं, के सम्बन्ध में अभिमत उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या S.O. 221(E) दिनांक 18.01.2021 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया है:-

(ii) for paragraph 9A, the following paragraph shall be substituted namely:-

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31 March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पर्यावरण सहमति की वैधता हेतु 01.04.2020 से 31.03.2021 की अवधि को गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अतः भारत सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 18.01.2021 के क्रम में प्रश्नगत पर्यावरण सहमति की वैधता दिनांक 08.01.2026 तक होगी।

(देवेन्द्र सिंह)
उप निदेशक

⑪
 25/04/2025

Ref. No.: G0 483 / O.A. No. 48/2025

Date: 25/04/2025

From,

Badri Nath Singh,
 District Magistrate,
 Sonbhadra.

By e-mail

To,

Shri Ankit Verma,
 Advocate Government Standing Counsel,
 Hon'ble National Green Tribunal,
 New Delhi
 Email-ankit.sengtup@gmail.com

Sub:- Submission of Joint Committee Report in compliance of directions issued by Hon'ble NGT vide order dated 30.01.2025 in the matter of O.A. No.48 /2025 (I.A. No. 62/2025) Pawan Kumar Vs Union of India and Others

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 30.01,2025 in the matter of O.A. No.48/2025 (I.A. No. 62/2025) Pawan Kumar Vs Union of India and Others, the Joint Committee Report in the form affidavit of is being attached herewith for further necessary action.

It is requested that the aforesaid Joint Committee Report may be presented/filed before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Your's faithfully,

Ⓞ
 (Badri Nath Singh)
 District Magistrate
 Sonbhadra

Endt. No. & date

Copy to:- Principal Secretary (Justice), Government of U.P., Lucknow.

Ⓞ
 District Magistrate
 Sonbhadra

JOINT COMMITTEE REPORT IN THE MATTER OF

Original Application No. 48/2025

(I.A. No. 62/2025)

Titled as

Pawan Kumar Vs Union of India and Others

1. Background:

Hon'ble NGT, Principal Bench, New Delhi was pleased to pass the order dated 30.01.2025 in the matter Original Application No. 48/2025 (I.A. no.62/2025) titled as Pawan Kumar Vs Union of India and Others and direct to visit the site, ascertain the extent of illegal mining that has been done and also ascertain the correctness of the allegation concerning the midstream mining, which is reflected in the photographs enclosed with the OA and the status of requisite environmental clearances with the Respondent No. 11 and will also ascertain as to how after expiry of EC the Form EMM11 were issued after 08.01.2025.

Relevant para of the Hon'ble NGT order is as below: -

"...4. Issue notice to the Respondents for filing the response by way of affidavit at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate, then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. The Applicant is directed to serve the Respondents and file affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

5. Having regard to the seriousness of the allegation made in the OA, we also constitute a Joint Committee comprising RO, MoEF&CC, Lucknow, representative of the Member Secretary, CPCB, Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Sonbhadra. The District Magistrate, Sonbhadra, will act as the nodal agency in the Joint Committee. The Joint Committee will visit the site, ascertain the extent of illegal mining that has been done and also ascertain the correctness of the allegation concerning the midstream mining, which is reflected in the photographs enclosed with the OA and the status of requisite environmental clearances with the Respondent No. 11 and will also ascertain as to how after expiry of EC the Form EMM11 were issued after 08.1.2025. The joint committee will submit the report before the Tribunal within eight weeks. (A copy of the order of Hon'ble NGT is annexed as Annexure-A)

In compliance with said order, the following officials were nominated from the concerned Department:

The Following members have been nominated from their respective departments:

- a. Dr A.K. Gupta, Scientist 'E', MoEF&CC, RO, Lucknow, representative of the RO, MOEF&CC, Lucknow.
- b. Shri Runa Oron, Scientist E , CPCB, RD, Lucknow, representative of the Member Secretary, CPCB
- c. Shri Nikhil Yadav, SDM, Dudhi, Sonbhadra, U.P., representative of the DM, Sonbhadra
- d. Shri R.K Singh, RO, Regional Office, UPPCB, Sonbhadra, representative of MS UPPCB.

2. Inspection of Joint Committee:

A joint inspection of the site was carried out on 19.3.2025 by the joint committee. During the visit, Shri Chandra Shekhar, AEE, RO, UPPCB, Sonbhadra & Shri Yogesh Shukla, Mining Inspector, Sonbhadra, U.P was also present along with committee members to assist the joint committee.

3. Observation of the Joint Committee during the site inspection:

- 3.1. As per the record, environmental clearance (EC) has been granted with identification no. 516/Parya/SEAC/5031-4705/2018 dated 09.1.2020 to "Riverbed Morrum mining" having lease area – 32.338 ha along river Kanhar in Gata No.: 871 and 518Ga, at Village – Pipardih & Koragi, Tehsil– Duddhi, District– Sonbhadra, Uttar Pradesh of M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd. (A copy of EC is Annexed as **Annexure-B**)
- 3.2. Letter of Intent (LOI) has been issued to M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd. vide letter no. 2774/Khanji/2019 dated 25.01.2019 by DM, Sonbhadra. (A Copy of CTO Annexed as **Annexure-C**)
- 3.3. Public hearing of M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd. was done on 09.8.2019. (Copy of MOM is attached as **Annexure-D**)

- 3.4. District Magistrate, Sonbhadra has cancelled lease issued to M/s R.S.I. Stone World Pvt. Ltd. Vide letter dated 08.01.2024 due to non-submission of royalty. (Copy of order is annexed as **Annexure-E**)
- 3.5. Further, the EC lease has been transferred to M/s Anjali Construction Enterprises, proprietor Smt. Meera Singh, R/o 24/17, AG, Ajay Vihar Colony, Taktakpur, District - Varanasi 221002, UTTAR PRADESH, 221002 vide EC identification no. EC24B0107UP5171842T dated 11.07.2024. (A copy of EC is annexed as **Annexure-F**)
- 3.6. As per the additional EC condition no.1 "Transfer of EC is granted for a period upto 08.01.2025 or validity of current mine plan or current lease period whichever is earlier and after this the original EC and transfer order both will become null and void" (A copy of the notification is annexed as **Annexure-G**)
- 3.7. However, as per MoEF& CC vide notification no. S.O. 221(E) dated 18.01.2021, the period from April 1, 2020, to March 31, 2021, shall be excluded from the calculation of the validity period for the previously granted environmental clearance under this notification. This exclusion was due to the COVID-19 pandemic. Consequently, the validity of this environmental clearance shall be deemed extended until 07.01.2026 (A copy of the notification is annexed as **Annexure-H**).
- 3.8. Mining Department, Sonbhadra has provided copy of LOI of dated 13.03.2024, issued to M/s Anjali Construction Enterprises via letter (A copy of LOI is annexed as **Annexure-I**).
- 3.9. Mining Department, Sonbhadra has provided copy of current mine plan or current lease period issued to M/s Anjali Construction Enterprises of letter dated 25.12.2024 (A copy of mine Plan is annexed as **Annexure-J**).
- 3.10. Cluster certificate was issued to M/s Anjali Construction Enterprises vide letter dated 30.03.2024. (A Copy of certificate is Annexed as **Annexure-K**)
- 3.11. Project Proponent (PP) (M/s Anjali Construction Enterprises) obtained consent to operate (CTO) from the Uttar Pradesh Control Board (UPPCB) vide letter no. 222383/UPPC/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/SONBHADRA/2024 dated

12.11.2024, which is valid from 12.11.2024 to 31.12.2024 for 258704 cubic meter/year of sand mining. (A Copy of CTO Annexed as **Annexure-L**)

3.12. UPPCB vide letter no. 229337/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/SONBHADRA/2024 dated 24.01.2025 refuse the application of further CTO of PP (A Copy of the CTO refusal letter is annexed as **Annexure -M**)

3.13. District Magistrate vide letter no. 1640/VadSaha-NGT/2025 dated 13.02.2025, requested to Police commissioner, Senior Mine officer, and Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra, to stop illegal mining in the said area. (A Copy of the letter dated 13.02.2025 is annexed as **Annexure-N**)

3.14. As per the available record, the lease area of the project is 32.338 ha, and .kml file of the above lease also confirms the same land area.

3.15. During visit, the Joint Committee observed that no mining activity is going on lease area. However, as per the available record, the mining has been stopped since 18 Feb 2025. The lease was operated from 1 Jan, 2025 to 18 Feb, 2025, without valid CTO.

3.16. Mining Department, Sonbhadra has provided a letter of dated 27.12.2024, regarding District Survey Report (DSR) of said mining lease. A copy of letter dated 27.12.2024 is annexed as **Annexure-O**).

3.17. Mining Department, Sonbhadra has not provided any information on status of Replenishment study of said mining lease.

3.18. In compliance with EC conditions, the following observation has been made:

3.18.1. The joint committee observed that non-cemented boundary pillars were found intact.

3.18.2. Part of the lease area is found submerged, without boundary pillars.

3.18.3. The Joint Committee observed that the mine owner (PP) has established a weighting bridge along with the office, around 2 to 3 km from the lease boundary.

3.18.4. In the project office site, one acoustic-type DG has been found without proper stack height,

- 3.18.5. PP has a PTZ camera located near the weighbridge, which was found to be working during inspection.
- 3.18.6. PP has commissioned one bore well (hand pump with motor) near the office/weight bridge area
- 3.18.7. PP has not yet made motorable road from the site office to the main road.
- 3.18.8. PP has not yet conducted digital processing of the entire lease area, which is required to be conducted once in three years.
- 3.18.9. PP has not conducted an Environmental audit so far,
- 3.18.10. PP has not submitted a six-monthly compliance report regularly,
- 3.18.11. PP has not yet submitted the expenditure incurred under CSR to the concerned authority.
- 3.18.12. As per the EC condition, "The Project proponent has not yet developed a green belt in and around the lease area.
- 3.19. As per the NGT order, a joint committee has to ascertain the extent of illegal mining that has been carried out. During the visit, it was observed that several pits in the mining lease area, which are filled with water, have also been observed by the joint committee. The depth of the pits could not be measured due to the filled water. Mining was observed to be carried out within the lease area. However, mining department has not provided data on the quantity of mining carried out by the PP. UPPCB vide its letter dated 27.02.2025 requested Mining Officer, Sonbhadra for information on illegal mining and penalty against the PP. The Mining Officer, Sonbhadra has not provided information.
- 3.20. As per NGT order, joint committee has to ascertain the correctness of the allegation concerning the midstream mining, which is reflected in the photographs enclosed with the OA. During visit, it was observed that PP has constructed several bunds in the lease area to disturb the natural flow of the river, which is against the Sustainable Sand Mining Guidelines (SSMG), 2016.

5. Recommendations:

- In view of the above, UPPCB may take necessary action on the mining done without a valid CTO.
- UPPCB and Mining Department should take necessary action against the PP for violation of EC conditions.
- Mining Department shall be directed to provide information's as desired by the joint committee constituted by Hon'ble NGT.
- A replenishment study should be conducted as per the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020. Based on the study LOI can be issued.
- The mining should be done as per the Sustainable Sand Mining Guidelines (SSMG), 2016, and the Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020.
- Local administration through the mining department and the Regional Office, UPPCB, shall ensure the compliance of all commitments made by PP during the appraisal of the project on-site.
- In no case should mining be carried out below water level, or sub-surface water level in the river.

	Name of the Committee members	Signature
1.	Dr A.K. Gupta, Scientist 'E'	
2.	Shri Runa Oron, Scientist 'E'	
3.	Shri Nikhil Yadav, SDM	
4.	Shri R.K. Singh, Regional Officer	
15.04.2025		



सोनभद्र-12-12

12

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक 2053 / खनिज / 2026
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

दिनांक 27 / 01 / 2026

कारण बताओ नोटिस

मे० अंजली कन्सट्रक्शन इण्टरप्राइजेज पता एस 24 ए०जी० अजय विहार कालोनी, टकटकपुर, वाराणसी प्रोपराइटर-श्रीमती मीरा सिंह पत्नी श्री अजय सिंह निवासी 24/17 ए०जी० अजय विहार कालोनी, टकटकपुर, तहसील-सदर, जनपद-वाराणसी के पक्ष में जनपद-सोनभद्र की तहसील-दुद्धी स्थित ग्राम-पीपरडीह एवं कोरगी की आराजी संख्या-871 व 518ग रकबा 32.338 हे० क्षेत्र पर मोरम का 05 वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 04.11.2024 से दिनांक 03.11.2029 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है। उपरोक्त खनन पट्टे के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-48/2025 पवन कुमार बनाम यूनियन आफ इण्डिया में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 30.01.2025 का पारित आदेश के कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

"5. Having regard to the seriousness of the allegation made in the OA, we also constitute a Joint Committee comprising RO, MoEF&CC, Lucknow, representative of the Member Secretary, CPCB, Member Secretary, UPPCB and District Magistrate, Sonebhadra. The District Magistrate, Sonebhadra, will act as the nodal agency in the Joint Committee. The Joint Committee will visit the site, ascertain the extent of illegal mining that has been done and also ascertain the correctness of the allegation concerning the midstream mining, which is reflected in the photographs enclosed with the OA and the status of requisite environmental clearances with the Respondent No. 11 and will also ascertain as to how after expiry of EC the Form EMM11 were issued after 08.01.2025. The Joint Committee will submit the report before the Tribunal within eight weeks."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 30.01.2025 के अनुपालन में मा० न्यायालय द्वारा गठित संयुक्त समिति द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 15.04.2025 को किया गया। संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 25.04.2025 के पृष्ठ संख्या-4, बिन्दु संख्या-3.15 में उल्लिखित है कि:-"3.15. During visit, the Joint Committee observed that no mining activity is going on lease area, as per the available record, the mining has been stopped since 18 Feb. The lease was operated from 1 Jan, 2025 to 18 Feb, 2025 without valid CTO."

अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 30.01.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति की संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 25.04.2025 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में 03 दिवस के अन्दर उपरोक्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि किन परिस्थितियों में दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 18.02.2025 तक खनन पट्टे में बिना

.....2...

(2)

सी0टी0ओ0 के मोरम का खनन एवं परिवहन कार्य हुआ।

यदि आपके द्वारा निर्धारित समय में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आपके विरुद्ध कार्यवाही हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

संलग्नक:- यथोपरि।


(बद्री नाथ सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र 6/6
1/1

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।


जिलाधिकारी,
सोनभद्र 6/6
1/1



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संलग्नक-13

13

संदर्भ संख्या:- G0082/0.A.No-48/2025/2026
Ref.No.:

दिनांक:- 03/02/2026
Date:

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सोनभद्र।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-48/2025 (आई०ए० नं०-193/2025, आई०ए० नं०-62/2025) पवन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-28.04.2025 के अनुपालन में मेसर्स अंजली कन्स्ट्रक्शन इण्टरप्राइजेज आराजी नं०-871 एवं 518ग ग्राम-पिपराडीह एवं कोरगी कनहर तहसील-दुद्धी, सोनभद्र के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग), सोनभद्र के पत्र पत्रांक-2053/खनिज/2026 दिनांक-27.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-48/2025 (आई०ए० नं०-193/2025, आई०ए० नं०-62/2025) पवन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.01.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति की जाँच आख्या दिनांक-25.04.2025 के पृष्ठ संख्या-4, विन्दु संख्या-3.15 में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि संदर्भित खनन परियोजना द्वारा संचालन हेतु राज्य बोर्ड के उ०प्र० ऑनलाईन कन्सेन्ट मैनेजमेन्ट एण्ड मॉनीटरिंग पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन सहमति (जल एवं वायु) आवेदन दिनांक-25.09.2024 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-222383/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/SONBHADRA/2024 दिनांक-12.11.2024 द्वारा दिनांक-31.12.2024 तक की अवधि हेतु सहमति (जल एवं वायु) निर्गत था (छायाप्रति संलग्न)। पुनः ऑनलाईन सहमति (जल एवं वायु) आवेदन दिनांक-22.12.2024 को पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि समाप्त होने के कारण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-229337/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/SONBHADRA/2024, दिनांक-24.01.2025 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) आवेदन को निरस्त किया गया।

खनन परियोजना मेसर्स अंजली कन्स्ट्रक्शन इण्टरप्राइजेज आराजी नं०-871 एवं 518ग ग्राम-पिपराडीह एवं कोरगी कनहर तहसील-दुद्धी, सोनभद्र द्वारा संयुक्त समिति की जाँच आख्या रिपोर्ट दिनांक-25.04.2025 के अनुसार दिनांक-01.01.2025 से दिनांक-17.02.2025 की अवधि में राज्य बोर्ड से सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये बिना संचालित किये जाने के दृष्टिगत परियोजना के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच 30382/सी-2/वायु-593/25 दिनांक-18.07.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था।

क्रमशः 2/पर...

कार्यालय : लोदी, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र-231216
ई-मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: Lodhi, Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

(2)

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि संदर्भित उद्योग को स्टेट इन्वायरन्मेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी उ०प्र० के पत्र दिनांक-27.09.2025 (ट्रांसफर ई०सी०) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्रांक-एच 34003/सी-2/वायु-593/25 दिनांक-29.10.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि "मा० उच्चतम न्यायालय सिविल अपील संख्या-797-760/2013 डीपीसीसी बनाम लोधी प्रापर्टी कम्पनी लिमिटेड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-04.08.2025 के अनुक्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने सम्बन्धी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया/प्राकृतिक न्याय के सम्बन्ध में अधीनस्थ विधायन आने के उपरान्त ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जा सकती है। तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का विन्दु वर्तमान में स्थगित किया जाना उचित होगा।"

तत्पश्चात बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-251515/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/SONBHADRA/2025, दिनांक-15.10.2025 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) निर्गत किया गया, जिसकी वैधता अवधि दिनांक-08.01.2026 थी। वर्तमान में स्टेट इन्वायरन्मेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी उ०प्र० के पत्र दिनांक-29.01.2026 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया है तथा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-260696/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/SONBHADRA/2026, दिनांक-02.02.2026 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) निर्गत किया गया, जिसकी वैधता अवधि दिनांक-31.12.2029 है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण आपके अवलोकनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप द्वारा दिनांक-27.01.2026 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित/निस्तारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

R
3/2/26

(आर०के० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ०सं० एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०, खनिज भवन, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी



Uttar Pradesh Pollution Control Board

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

21/10/2025-12

Category : RED

Application Id : 33942595

251515/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/SONBHADRA/2025

Date: 15/10/2025

To,

M/s

M/S ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES

Riverbed Morrum mining having lease area 32.338 ha, along river Kanhar in Gata No. 871 and 518 Ga, at Village Pipardih and Koragi, Tehsil - Duddhi, District Sonbhadra, Uttar Pradesh

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to M/S ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES located at Riverbed Morrum mining having lease area 32.338 ha, along river Kanhar in Gata No. 871 and 518 Ga, at Village Pipardih and Koragi, Tehsil - Duddhi, District Sonbhadra, Uttar Pradesh. subject to the provisions of the Water Act, Air Act and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA M/S ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES granted for the period from 15/10/2025 to 08/01/2026 and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Sand/Morrum	258704	Cubic Meters/Year

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	0.5 KLD	Septic Tank	Soak Pit

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
-------	-----------	----------

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be

stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
-------	------------	-----------

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Dust emission during manual mining, transportation and loading/unloading of Sand/Morrum.			Particulate Matter	water sprinkling system and Green Belt for controlling dust emission.

Emmission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1		Particulate Matter	Ambient Air Standard as per E(P) Act 1986.

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

(1) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.

(ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.

5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.

7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.

8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.

2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.

3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.

4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.

5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof

6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.

7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.

8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.

9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.

10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.

11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point

12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

1. This CTO is valid for production capacity Sand/Morrum-258704 Cu meter/year by opencast and semi mechanized mining in 32.338 hectare lease area at Gata No. 871 and 518 Ga, at Village Pipardih and Koragi, Tehsil - Duddhi, District Sonbhadra.
2. Mining unit shall comply with the conditions of Environmental Clearance issued by State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) vide EC Identification No. EC24B0107UP5171842T dated 11.07.2024 and validity extension letter issued by vide EC Identification No. EC24B0107UP5759266N dated 27.09.2025 and submit its compliance report to UPPCB.
3. The decision taken regarding disposal of show cause notice issued vide letter dated 18.07.2025 for imposition of Environmental Compensation will be acceptable to the industry.
4. Validity period of this CTO is 6 months as the LoI has been issued for a period of 6 months and co-terminus with the validity of current mine plan and current lease period whichever is earlier after this period the CTO will become null and void.
5. Mining shall be done as per EC issued by SEIAA and directions given by Mining Department/District Administration.
6. Unit shall develop and maintain green belt as per the conditions of Environmental Clearance.
7. Unit shall not withdrawal ground water for any industrial activity without obtaining necessary permission from UPGWA.
8. The domestic effluent shall be treated through septic tank/soak pit or provide mobile toilet facility. Industry shall maintain ZLD.
9. Unit shall make water sprinkling arrangement through Tankers for dust suppression at different sources of dust emission during mining, transportation, loading and unloading of Sand/Morrum.
10. Unit should operate and maintain installed water sprinkler system effectively and continuously to achieve the standards prescribed under E(P) Rules, 1986.
11. Unit shall submit Ambient air monitoring reports of NABL accredited laboratory on quarterly basis to the Board.
12. All trucks, tractors used in transportation of Sand/Morrum shall be covered by tarpaulin /canvas sheet to prevent dust emission.
13. The dust suppression measures like water spraying will be done on the haul roads and working areas.
14. Industry should comply with the provisions of Hazardous and Other waste (Management & Trans boundary Movement) Rules 2016.
15. Solid waste should be disposed in such manner, so that no water, air and soil pollution takes place.
16. Industry shall abide by directions given by Hon'ble Court, Hon'ble NGT, MoEF&CC, Central Pollution Control Board, UPPCB and District Administration for protection and safe guard of environment from time to time.
17. Industry shall comply with the relevant provisions of Environmental Laws.
18. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order.

Radhey
Shyam

Digitally signed by
Radhey Shyam
Date: 2025.10.15
18:52:38 +05'30'

Chief Environmental Officer (circle-2)

Copy to:

Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra with direction to send the compliance report of CTO conditions on quarterly basis to Head Office.

Radhey Shyam

Digitally signed by Radhey
Shyam
Date: 2025.10.15 18:53:19
+05'30'

Chief Environmental Officer (circle-2)



मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली
(Lifestyle For Environment)
जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेंकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेंकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई-वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइकलिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाकीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रेफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 विलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |



UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Building.No. TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Telephone: +91-522-2720831, 2720681, 2720691 (Fax): +91-522-2720764

Category : RED

Application Id : 29602793

Ref No. -
229337/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/SONBHADRA/20
24

Dated : 24/01/2025

To ,

M/S MEERA SINGH
MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES

Riverbed Morrum mining having lease area 32.338 ha, along river Kanhar in Gata No. 871 and
518 Ga, at Village Pipardih and Koragi, Tehsil - Duddhi, District Sonbhadra, Uttar Pradesh
SONBHADRA

Sub : Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules , 2016.

Kindly refer to your Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) application dated 22/12/2024 and received on 22/12/2024 under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016. Your application and the information submitted by you have been examined along with the facts found during inspection made by officers of UPPCB on 13/01/2025 . Your consent application is hereby refused due to following reason.

Reasons :-

As environmental clearance initially granted on 09.01.2020 by SEIAA vide Ref No. 516/Parya/SEAC/5031-4705/2018), for the validity period upto 08.01.2025. Subsequently, the environment clearance was transferred in the favor of the current proponent vide EC identification no. EC24B0107UP5171842T dated 15.07.2024.

Industry has requested vide letter dated 21.12.2025 that "accordance with the MoEF&CC Office Memorandum dated 18.01.2021, the period from April 1, 2020, to March 31, 2021, shall be excluded from the calculation of the validity period for the previously granted environmental clearance under this notification. This exclusion was due to the Covid-19 pandemic. Consequently, the validity of the environmental clearance, initially set to expire on 08.01.2025, shall be deemed extended until 07.01.2026."

The Transfer of EC is granted by SEIAA for a period upto 08.01.2025 or validity of current mine plan or current lease period whichever is earlier. At present validity of EC has been expired. Industry has not obtained the valid EC from SEIAA in light of MoEF&CC Office Memorandum dated 18.01.2021. Therefore in this circumstances, the CTO application is hereby refused.

The Consolidated Consent to Operate and/or Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) Application under section 25/26 of Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 as amended, under section 21/22 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 as amended and Authorization under the provisions of Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules , 2016 is hereby refused. Further, you are hereby informed to comply with the mandatory provisions of Water Act 1974, Air Act 1981 and HWM Rules 2016

This order is issued with the approval of competent authority.

ATULESH YADAV Digitally signed by ATULESH YADAV
Date: 2025.01.24 21:03:55 +05'30'
(Authorized Signatory)

Atulesh Yadav
CEO-2

Copy To -

Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra for information and necessary action.

ATULESH YADAV Digitally signed by ATULESH YADAV
Date: 2025.01.24 21:04:05 +05'30'

Atulesh Yadav
CEO-2
(Authorized Signatory)



मिशन LIFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली
(Lifestyle For Environment)
जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय |
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइकलिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाङ्कीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है।



Uttar Pradesh Pollution Control Board

Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010

Phone:0522-2720828,2720831, Fax:0522-2720764, Email: info@uppcb.in, Website: www.uppcb.com

Category : RED

Application Id : 28350202

222383/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/SONBHADRA/2024

Date: 12/11/2024

To,

M/s

MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES

Riverbed Morrum mining having lease area 32.338 ha, along river Kanhar in Gata No. 871 and 518 Ga, at Village Pipardih and Koragi, Tehsil - Duddhi, District Sonbhadra, Uttar Pradesh.,SONBHADRA,

Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Fresh) under Section-25 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and under Section-21 of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981

CCA is hereby granted to MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES located at Riverbed Morrum mining having lease area 32.338 ha, along river Kanhar in Gata No. 871 and 518 Ga, at Village Pipardih and Koragi, Tehsil - Duddhi, District Sonbhadra, Uttar Pradesh.,SONBHADRA., subject to the provisions of the Water Act, Air Act and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES granted for the period from 12/11/2024 to 31/12/2024 and valid for manufacturing of following products.

S No	Product	Quantity	Unit
1	Sand/Morrum	258704	Cubic Meters/Year

2. Conditions under Water(Prevention and Control of Pollution) Act -1974 as amended :-

(i) The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-

Kind of Effluent	Quantity(KLD)	Treatment facility	Discharge point
Domestic	1.0 KLD	Septic Tank	Soak Pit

(ii) Trade Effluent Treatment and Disposal :-The applicant shall operate Effluent Treatment Plant consisting of primary/secondary and tertiary treatment as is required with reference to influent quantity and quality.

In case of stoppage of functioning of ETP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(iii) The treated effluent shall be recycled to the maximum extent and should be reused within the premises for gardening etc. Quality of the treated effluent shall meet to the following general and specific standards as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 and applicable to the unit from time-to-time :-

Industrial Effluent Quality Standard

S.No.	Parameter	Standard
-------	-----------	----------

(iv) Sewage Treatment and Disposal :- The applicant shall provide comprehensive STP as is required with reference to influent quantity and quality. In case of stoppage of functioning of STP, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately.

(v) The treated sewage shall be reused in gardening as far as possible. The STP shall be maintained continuously so as to achieve the quality of the treated sewage to the following standards.

S No.	Parameters	Standards
-------	------------	-----------

3. Conditions under Air (Prevention and Control of Pollution) Act -1981 as amended :-

i) The applicant shall use following fuel and install a comprehensive control system consisting of control equipment as required with reference to generation of emissions and operate and maintain the same continuously so as to achieve the level of pollutants to the following standards.

Air Pollution Source Details

S No.	Air Pollution Source	Type of fuel	Stack no	Control Device	Height of Stack
1	Dust emission during manual mining, transportation and loading/unloading of Sand/Morrum.			Particulate Matter	water sprinkling system and Green Belt for controlling dust emission.

Emission Quality Standards

S No.	Stack no	Parameters	Standards
1		Particulate Matter	Ambient Air Standard as per E(P) Act 1986.

In case of stoppage of functioning of air pollution control equipment, production has to be stopped immediately and this Board has to be intimated by fax/phone/email with a report in this regard to be dispatched immediately

(ii) The unit will not use any type of restricted fuel.

iii) Noise from the D.G. Set and other source(s) should be controlled by providing an acoustic enclosure as is required for meeting the ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones (Industrial, Commercial, Residential, Silence) which are as follows :-

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

Standards for Noise level in db(A) Leq	Industrial Area		Commercial Area		Residential Area		Silence Zone	
	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time	Day Time	Night Time
	75	70	65	55	55	45	50	40

4. Essential documents to be submitted by the Industry/Unit as Applicable :-

- (i) Environment Statement in Form-V of Environment (Protection) Rules, 1986.
 - (ii) Quarterly compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.
5. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.
6. Unit has to comply with the following specific & general conditions. Non compliance of any provision of this CCA and provisions of the Water Act, Air Act and Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 will result in legal action under the aforesaid Acts and Rules.
7. In compliance to the G.O 1011/81-7-2021-09 (Writ)/2016 dated.13.10.2021 issued by Department of Environment, Forest and Climate Change, Uttar Pradesh. You are directed to develop Miyawaki Forest as per the SOP available at URL:-<http://www.upecp.in/TrainingSession.aspx> for ensuring timely compliance of this direction, you are hereby directed to submit a bank guarantee with minimum validity of one year of the amount equivalent to the sum of initial consent fees (Air and Water) or Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand Only) whichever is more, within 30 days from the date of issuance of this certificate. In case of non-compliance of this direction, your consent will be revoked by the Board.
8. If the unit uses the ground water and requires the permission from SGWA/CGWA for water abstraction then the industry will have to obtain No objection certificate for abstraction of ground water. It will be the responsibility of the industry to comply with the various conditions of the NOC obtained from the competent authority and submit to the Board, within 3 months time failing which CTO will be revoked.

General Conditions:-

1. The applicant shall get analysed the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF and shall report to the UPPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the Board bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated Industrial waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the Board, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good house keeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof
6. The industry shall provide uninterrupted entry to the STP/ETP inlet and outlet points, Air Pollution Control equipment and stack for smooth sampling/monitoring of efficiency of pollution control systems.
7. The industry shall provide Inspection Book at the time of inspection to the Board's officials.
8. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
9. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
10. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.
11. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point

12. The Board reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.

Specific Conditions:-

1. This consent is valid for production capacity Sand/Morrum- 258704 cubic meter/year by opencast and semi mechanized mining in 32.338 Hectar Mining Lease area at Gata No. 871 and 518 Ga, at Village Pipardih and Koragi, Tehsil - Duddhi, District Sonbhadra.
2. Mining unit shall comply with the conditions of Environmental Clearance issued by State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) vide letter dated 09.01.2020 and conditions of Transfer of EC vide Identification No. EC24B0107UP5171842T dated 11.07.2024, and submit its compliance report to UPPCB.
3. If the lease agreement or Environmental Clearance expires prior to 31.12.2024, then the validity of this CTO shall stand expired simultaneously with the expiry of mining lease/Environmental Clearance.
4. Mining shall be done as per EC issued by SEIAA and directions given by Mining Department/District Administration.
5. The unit shall submit the latest copy of Audited Balance Sheet/C.A. Certificate (Fixed Assets+ Current Assets - Current Liabilities) for verification of the Consent fee payable by the industry within 15 days. In case CTO fee dues then it shall be submitted to the Board immediately.
6. Unit shall develop and maintain green belt as per the conditions of Environmental Clearance.
7. Unit shall not withdrawal ground water for any industrial activity without obtaining necessary permission from UPGWA.
8. The domestic effluent shall be treated through septic tank/soak pit or provide mobile toilet facility. Industry shall maintain ZLD.
9. Unit shall make water sprinkling arrangement through Tankers for dust suppression at different sources of dust emission during mining, transportation, loading and unloading of Sand/Morrum.
10. Unit should operate and maintain installed water sprinkler system effectively and continuously to achieve the standards prescribed under E(P) Rules, 1986.
11. Unit shall submit Ambient air monitoring reports of NABL accredited laboratory on quarterly basis to the Board.
12. All trucks, tractors used in transportation of Sand/Morrum shall be covered by canvas sheet to prevent dust emission.
13. Water will be sprayed after loading activity (if Sand/Morrum collected could be dry condition)
14. The dust suppression measures like water spraying will be done on the haul roads and working areas.
15. Industry should comply with the provisions of Hazardous and Other waste (Management & Trans boundary Movement) Rules 2016.
16. Solid waste should be disposed in such manner, so that no water, air and soil pollution takes place.
17. Industry shall abide by directions given by Hon'ble Court, Hon'ble NGT, MoEF&CC, Central Pollution Control Board, UPPCB and District Administration for protection and safe guard of environment from time to time.
18. Consent fees if revised, shall be payable by industry from the date of its applicability.
19. Industry shall comply with the relevant provisions of Environmental Laws.
20. If closure order is issued by CPCB or UPPCB against the unit, then CTO issued earlier will remain suspended during the closure period and after ensuring the compliance and after revocation of closure order, the CTO will automatically be effective with additional conditions mentioned in the closure revocation order.

ATULESH
YADAV

Digitally signed by ATULESH
YADAV
Date: 2024.11.13 17:51:21
+05'30'

Chief Environmental Officer (circle-2)

Copy to:

Regional Officer, UPPCB, Sonbhadra with direction to send the compliance report of CTO conditions on quarterly basis to Head Office.

ATULESH YADAV

Digitally signed by ATULESH
YADAV
Date: 2024.11.13 17:51:57 +05'30'

Chief Environmental Officer (circle-2)



मिशन LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली
(Lifestyle For Environment)
जनसहभागिता का सन्देश



- स्वच्छता – देशसेवा में अपने परिवेश की स्वच्छता हेतु अपना सक्रिय योगदान सुनिश्चित करें
- संकल्प लें -एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद जैसे कप, तश्तरी, चम्मच, स्ट्रॉ, ईयरबड्स आदि का उपयोग न हो एवं पर्यावरण अनुकूल विकल्पों जैसे कागज/पत्तों से बने दोने या कटलरी को प्राथमिकता दी जाय ।
- एकल उपयोग प्लास्टिक उत्पाद के प्रयोग को रोकने एवं प्लास्टिक बैग के वजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने मात्र से 375 मिलियन टन ठोस (प्लास्टिक) कचरे का उत्सर्जन बचाया जा सकता है
- चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकोनॉमी) का समुचित कार्यान्वयन वर्ष 2030 तक लगभग 14 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त बचत उत्पन्न कर सकता है | वेस्ट /अपशिष्ट फेंकने के पूर्व सोचें, ये किसी का संसाधन तो नहीं ...?
- अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को कचरे में फेंकने से रुकें | इसके उपयुक्त निस्तारण हेतु इसे प्राधिकृत ई – वेस्ट रीसाइकलर को दें | प्राधिकृत ई-रीसाइकलिंग इकाई में अनुपयोगी इलेक्ट्रिक / इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को देने मात्र से 0.75 मिलियन टन तक ई-कचरे का पुनर्चक्रण किया जा सकता है एवं ई-कचरे के विषम पर्यावरणीय दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है
- बाहर जाते समय - सोचें कि क्या आपको वास्तव में परिवहन की आवश्यकता है - वह भी क्या व्यक्तिगत रूप से ? छोटी दूरी के लिए पैदल चलना पसंद करें, अथवा सम्भव हो तो कार पूल के रूप में संसाधन को साझा करें अथवा सार्वजनिक परिवहन पर विचार करें
- घरेलू स्तर पर कम से कम ठोस अपशिष्ट का उत्सर्जन करें और इनका प्रथाकीकरण करें
- उपयोगी शेष खाद्य सामग्री आपके स्वयं प्रयास अथवा निकटस्थ सक्रिय स्वयं सेवी संस्थाओं की सहायता से समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचाई जा सकती है | वहीं अनुपयोगी भोजन /खाद्य सामग्री को कंपोस्ट (वर्मी कम्पोस्ट) करने से 15 अरब टन भोजन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है
- ध्यान रखें - उपयुक्त नल और शावर के उपयोग से पानी की खपत को 30 - 40% तक कम किया जा सकता है। एवं उपयोग में न होने पर नलों को बंद रखने मात्र से 9 ट्रिलियन लीटर पानी बचाया जा सकता है
- ट्रैफिक लाइट/रेलवे क्रॉसिंग पर कार/स्कूटर के इंजन बंद करने मात्र से 22.5 बिलियन kWh तक ऊर्जा की बचत हो सकती है
- परम्परागत बल्ब के स्थान पर CFL का उपयोग बिजली की खपत में प्रभावी कमी लाते हैं | उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बंद करें | स्टार रेटेड विद्युत उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दें

हमारे द्वारा अपनी जीवन शैली की प्राथमिकताओं का उचित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्निर्धारण समाज और पर्यावरण के प्रति हमारा दायित्व है |



भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश
DIRECTORATE OF GEOLOGY AND MINING UTTAR PRADESH

संख्या-15

Number Of eMM11 Generated

Enter eMM11 Generated Date:-

from:-

08/01/2026

to:-

03/02/2026

Submit

Total eMM11 Quantity(FromDate to ToDate):-

622

Back

Sr.No	Name of Lessee	Father Name	Lessee Id	eMM11 Number	eMM11 Generated Date/Time	eMM11 Validity Date/Time
21	MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES PRO MEERA SINGH	WIFE OF AJAY SINGH	316325070653	31632507065301121	08/01/2026 19:58:32	09/01/2026 11:13:32
22	MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES PRO MEERA SINGH	WIFE OF AJAY SINGH	316325070653	31632507065301122	08/01/2026 20:02:08	09/01/2026 11:17:08
23	MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES PRO MEERA SINGH	WIFE OF AJAY SINGH	316325070653	31632507065301123	08/01/2026 20:59:57	09/01/2026 19:34:57
24	MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES PRO MEERA SINGH	WIFE OF AJAY SINGH	316325070653	31632507065301124	08/01/2026 21:05:36	09/01/2026 19:40:36
25	MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES PRO MEERA SINGH	WIFE OF AJAY SINGH	316325070653	31632507065301125	08/01/2026 21:08:46	09/01/2026 12:23:46
26	MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES PRO MEERA SINGH	WIFE OF AJAY SINGH	316325070653	31632507065301126	08/01/2026 21:13:00	09/01/2026 19:48:00
27	MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES PRO MEERA SINGH	WIFE OF AJAY SINGH	316325070653	31632507065301127	08/01/2026 21:25:11	09/01/2026 20:00:11
28	MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES PRO MEERA SINGH	WIFE OF AJAY SINGH	316325070653	31632507065301128	08/01/2026 21:28:20	09/01/2026 20:03:20
29	MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES PRO MEERA SINGH	WIFE OF AJAY SINGH	316325070653	31632507065301129	08/01/2026 21:31:42	09/01/2026 20:06:42
30	MS ANJALI CONSTRUCTION ENTERPRISES PRO MEERA SINGH	WIFE OF AJAY SINGH	316325070653	31632507065301130	03/02/2026 16:00:11	04/02/2026 14:35:11
1	2	3	4			

संलग्नक-13

13



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



दिनांक:- 03/02/2026
Date:

संदर्भ संख्या:- G10082/O.A.No-48/2025/2026
Ref.No.:

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
सोनभद्र।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-48/2025 (आई०ए० नं०-193/2025, आई०ए० नं०-62/2025) पवन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-28.04.2025 के अनुपालन में मेसर्स अंजली कन्स्ट्रक्शन इण्टरप्राइजेज आराजी नं०-871 एवं 518ग ग्राम-पिपराडीह एवं कोरगी कनहर तहसील-दुदही, सोनभद्र के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग), सोनभद्र के पत्र पत्रांक-2053/खनिज/2026 दिनांक-27.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० संख्या-48/2025 (आई०ए० नं०-193/2025, आई०ए० नं०-62/2025) पवन कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक-30.01.2025 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति की जाँच आख्या दिनांक-25.04.2025 के पृष्ठ संख्या-4, विन्दु संख्या-3.15 में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं।

उक्त के सम्बन्ध में अदगत कराना है कि संदर्भित खनन परियोजना द्वारा संचालन हेतु राज्य बोर्ड के उ०प्र० ऑनलाईन कन्सेन्ट मैनेजमेन्ट एण्ड मॉनीटरिंग पोर्टल पर प्राप्त ऑनलाईन सहमति (जल एवं वायु) आवेदन दिनांक-25.09.2024 के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक-222383/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/SONBHADRA/2024 दिनांक-12.11.2024 द्वारा दिनांक-31.12.2024 तक की अवधि हेतु सहमति (जल एवं वायु) निर्गत था (छायाप्रति संलग्न)। पुनः ऑनलाईन सहमति (जल एवं वायु) आवेदन दिनांक-22.12.2024 को पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता अवधि समाप्त होने के कारण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-229337/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/SONBHADRA/2024, दिनांक-24.01.2025 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) आवेदन को निरस्त किया गया।

खनन परियोजना मेसर्स अंजली कन्स्ट्रक्शन इण्टरप्राइजेज आराजी नं०-871 एवं 518ग ग्राम-पिपराडीह एवं कोरगी कनहर तहसील-दुदही, सोनभद्र द्वारा संयुक्त समिति की जाँच आख्या रिपोर्ट दिनांक-25.04.2025 के अनुसार दिनांक-01.01.2025 से दिनांक-17.02.2025 की अवधि में राज्य बोर्ड से सहमति (जल एवं वायु) प्राप्त किये बिना संचालित किये जाने के दृष्टिगत परियोजना के विरुद्ध उत्पन्न अवधि हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशेषित किये जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक-एच 30382/सी-2/वायु-593/25 दिनांक-18.07.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था।

क्रमशः 2/पर...

कार्यालय : लोदी, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र-231216
ई-मेल : rosonbhadra@uppcb.in

Office: Lodhi, Robertsganj, Sonbhadra-231216
E-mail: rosonbhadra@uppcb.in

(2)

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि संदर्भित संघोग को स्टेट इन्वायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी उओप्रओ के पत्र दिनांक-27.09.2025 (ड्रासफर ई0सी0) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया है। बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्रांक-एच 34003/सी-2/वायु-593/25 दिनांक-29.10.2025 (आयाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है कि "माओ उच्चतम न्यायालय सिविल अपील संख्या-797-760/2013 डीपीसीसी बनाम लोधी प्रापर्टी कम्पनी लिमिटेड व अन्य में पारित निर्णय दिनांक-04.08.2025 के अनुक्रम में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित किये जाने सम्बन्धी सिद्धान्त एवं प्रक्रिया/प्राकृतिक न्याय के सम्बन्ध में अधीनस्थ विधायन आन के उपरान्त ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित की जा सकती है। तदनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित किये जाने का विन्दु वर्तमान में स्थगित किया जाना उचित होगा।"

तत्पश्चात बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-251515/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/SONBHADRA/2025, दिनांक-15.10.2025 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) निर्गत किया गया, जिसकी वैधता अवधि दिनांक-08.01.2026 थी। वर्तमान में स्टेट इन्वायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी उओप्रओ के पत्र दिनांक-29.01.2026 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया है तथा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-260696/UPPCB/Sonebhadra(UPPCBRO)/CTO/both/SONBHADRA/2026, दिनांक-02.02.2026 द्वारा सहमति (जल एवं वायु) निर्गत किया गया, जिसकी वैधता अवधि दिनांक-31.12.2029 है।

उपरोक्त स्पष्टीकरण आपके अवलोकनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप द्वारा दिनांक-27.01.2026 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित/निस्तारित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

नवमीय,

R
3/2/26

(आरओके0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

पु0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि- निदेशक, मूलाच एवं खनिकार्य निदेशालय, उओप्रओ, खनिज भवन, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी